



 **PE** **R** **A** **T** **I** **O** **N**   
**RELIEF**



सत्यमेव जयते

उपखण्ड प्रशासन राजसमन्द की जन कल्याणकारी पहल



# ऑपरेशन रिलीफ़



सत्यमेव जयते

उपखण्ड प्रशासन राजसमन्द की जन कल्याणकारी पहल

## अनुक्रमणिका

क्र.सं	विवरण	पेज नम्बर
1	परिचय	1 – 2
2	जिला कलक्टर, राजसमन्द का संदेश	3
3	उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द का संकल्प	4
4	विकास अधिकारी, राजसमन्द का समर्पण	5
5	ऑपरेशन रिलीफ – उद्देश्य	6
6	मानचित्र – राजसमन्द	7
7	ऑपरेशन रिलिफ – कार्यक्रम	8–9
8	प्रशासन गांवों के संग – प्रस्तावित कार्यक्रम	10–11
9	राजस्व विभाग	12–15
10	पंचायती राज विभाग	16–19
11	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	20–25
12	शिक्षा विभाग	26–28
13	श्रम विभाग	29–35
14	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	36–49
15	आयुर्वेद विभाग	50
16	कृषि विभाग	51–66
17	पशुपालन विभाग	67
18	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	68
19	महिला एवं बाल विकास विभाग	69
20	ई-मित्र सेवाएं एवं रेट लिस्ट	70–73
21	sso id से लॉगिंग प्रक्रिया	74–77
22	प्रभारी अधिकारी आदेश	78–86
23	ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची	87
24	सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों की सूची	88–91
25	वेबसाइट का लिंक – क्लिक पर वेबसाइट	92



## - ऑपरेशन रिलीफ -

### प्रशासन गांवों के संग से पूर्व प्रयास राहत देने का...

एक प्रशासक के रूप में लक्ष्य केन्द्रण में कमजोर, वंचित और गरीब व्यक्ति को सदा महसूस करता हूँ। सरकार की प्रशासन से उम्मीद और अपेक्षा भी यही रहती है कि समाज के इस वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये। अभी हाल ही में उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के पद पर स्थानांतरण हुआ। विगत दो वर्षों के दौरान पंचायती राज में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजसमन्द जिले का गहन अनुभव करने का अवसर मिला। उपखण्ड अधिकारी के दायित्वों में मुख्य दायित्व विभिन्न विभागों की योजनाओं का पात्र व्यक्ति तक सुगम व त्वरित पहुँच बनाना है। यह सुनहरा अवसर राज्य सरकार द्वारा आगामी प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्राप्त होने वाला है। इस अभियान के दौरान उपखण्ड क्षेत्र राजसमन्द की जनता को अधिकतम लाभ प्रदान करवाना लक्ष्य है। इस हेतु पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, पंचायत स्तरीय व ग्राम स्तरीय कार्मिकों यथा प्रधानाचार्य, अध्यापकों, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, राशन डीलर, ई-मित्र संचालक तथा जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाकर सुझाव प्राप्त किये गये। इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 45 दिनों का एक व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार किया गया। वैचारिक मंथन, सैद्धांतिक लक्ष्यों, जनकल्याणकारी कर्तव्यनिष्ठा व प्रशासनिक दायित्वों की परिणति है **‘ऑपरेशन रिलीफ’**।

45 दिनों के इस राहत व जनोपयोगी कार्य के लिये साथी अधिकारियों की पूर्ण एवं सजग चेष्टा के साथ शीर्ष अधिकारियों का मार्गदर्शन अत्वावश्यक है। मैं इस संबंध में भाग्यशाली हूँ कि दोनों ही सोपानों पर मुझे बहुत अच्छे व सक्रिय साथी अधिकारी मिले। आदरणीय जिला कलक्टर श्रीमान् अरविन्द पोसवाल की प्रेरणा और नवाचारी व्यक्तित्व ने मुझे सदैव आकर्षित किया है। आपके नेतृत्व में यह गौरवान्वित क्षण प्राप्त हो रहे हैं। राजसमन्द जिले के विशेष तौर पर राजसमन्द उपखण्ड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, कार्य के प्रति लगाव और समर्पित जीवन शैली के साथ विभिन्न क्षेत्रों में नवीन आयाम स्थापित करने की लगन प्रेरणादायी है।

समाज के प्रत्येक वर्ग व स्तर पर सूचना की पहुंच आवश्यक है। इस उद्देश्य से यह डिजिटल बुक तैयार करने का प्रयास किया है। विभिन्न विभागों की योजनाओं का संकलन इस ई-बुक में किया गया है। ई-मित्र द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं को मय शुल्क प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार यह बुक न केवल अधिकारियों व कार्मिक के लिये मार्गदर्शक होगी बल्कि आमजन के लिये भी विभागों की योजनाओं तक पहुंच बनाने में सहयोगी सिद्ध होगी। उम्मीद यह है कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह ई-बुक प्रत्येक के मोबाइल तक पहुंच बना पाये। अतः पाठको से निवेदन है कि इसे सोशल मीडिया के माध्यम से आगे प्रेषित करने का श्रम करावें।

सादर!

डॉ. दिनेश राय सापेला  
उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द



## बधाई व शुभकामनाएं



अरविंद कुमार पोसवाल, IAS  
जिला कलक्टर, राजसमन्द

अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयंती 2 अक्टूबर के दिन से राज्य सरकार के आदेशानुसार 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान प्रस्तावित है। प्रशासन से अपेक्षित है कि वह समाज के निम्नतम व कमजोर तबके तक विविध योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पहुँचाये।

मुझे खुशी है कि जन आंकाक्षाओं की पूर्ति और योजनाओं की शत प्रतिशत पहुँच के उद्देश्य से राजसमन्द उपखण्ड अधिकारी द्वारा 'ऑपरेशन रिलीफ' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान से पूर्व आमजन को राहत देने का यह प्रयास निःसंदेह प्रशंसनीय है। मैं इस हेतु उपखण्ड प्रशासन को बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ब्लॉक राजसमन्द की जनता से अपील करता हूँ कि राजसमन्द उपखण्ड प्रशासन की ओर से आयोजित 'आपरेशन रिलीफ' का पूरा उपयोग करे और इसे सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करे।

इस अभियान के अंतर्गत मौके पर ही जन कल्याण कार्य यथा भूमि आवंटन, काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, लम्बित पट्टो का निस्तारण, परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का संधारण, पेंशन के पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत करना आदि का निष्पादन किया जावेगा।

अंत में मैं आप सभी राजसमन्द वासियों विशेषकर ग्रामीण परिवेश के नागरिकों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इस अभियान का हिस्सा बनते हुए इससे पूरी तरह लाभान्वित हों।

बधाई व शुभकामनाएं!

दिनांक – 10 अगस्त, 2021



हम होंगे कामयाब...



डॉ० दिनेश राय सापेला  
उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

राजसमन्द उपखण्ड प्रशासन की ओर से जनकल्याणकारी राहत अभियान 'ऑपरेशन रिलीफ' आयोजित किया जा रहा है। इस हेतु राजसमन्द उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ फिल्ड लेवल के कार्मिकों को बधाई व शुभकामनाएं। प्रशासन के इस रिलिफ कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु ब्लॉक राजसमन्द के आमजन विशेषकर ग्रामीण जनता से अपील है कि इसमें अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

इस बार 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान का शुभारम्भ राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 02 अक्टूबर महात्मा गाँधी जयंति से प्रस्तावित है। मेरा प्रयास है कि प्रशासन गाँवों के संग प्रारंभ होने से पूर्व ही उपखण्ड प्रशासन विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विविध योजनाओं हेतु पात्र परिवारों की पहचान कर सकें, तदनुसार उचित समय में पात्र व्यक्ति को लाभ प्रदान किया जा सके। इसी उद्देश्य से 'ऑपरेशन रिलीफ' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है।

इस कार्य में गांव व पंचायत स्तर के कार्मिकों यथा प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, राशन डीलर और ई-मित्र, की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिये नवीनतम उपलब्ध तकनीक का सहयोग लिया जायेगा। समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि अपने विभाग की योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये जाने के सफल प्रयास करें। इस कल्याणकारी राहत कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हम अवश्य होंगे कामयाब, इसी आशा और उम्मीद के साथ। बधाई व शुभकामनाएं!

दिनांक – 10 अगस्त, 2021

सार्थक प्रयास  
मिलकर बनायेगें सफल



भुवनेश्वर सिंह चौहान  
विकास अधिकारी  
पंचायत समिति, राजसमन्द

ग्राम स्वराज एवं स्वावलम्बन के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने को लेकर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की सजग एवं परिणाम मूलक जन नेतृत्व ने पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प त्वरित एवं समयबद्ध समस्या समाधान का रहा है, इसके लिये समय-समय पर प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर जनराहत के प्रयास किये गये हैं। इस बार भी महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टुबर, 2021 से प्रदेश में इस अभियान का श्री गणेश किया जा रहा है।

प्रशासन गांवों के संग से पूर्व आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आदरणीय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा राजसमन्द ब्लॉक के लिये 'ऑपरेशन रिलीफ' अभियान चलाया जाना गौरव और सम्मान का विषय है। पंचायती राज व ग्रामीण विकास की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुँच सके, यह मेरा प्रयास रहेगा। यह अभियान गांव व गरीब कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनें। किसी भी अभियान की सफलता के लिये यह जरूरी है कि सभी राजकीय विभागों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, आमजन, स्वयं सेवी संस्था एवं संगठनों की उसमें प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका रहें।

इसलिये उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जो मार्गदर्शक पुस्तिका समस्त योजनाओं को समाहित करते हुए प्रकाशित की जा रही है यह मेरे लिये गौरव की बात है और आम नागरिकों के लिये समस्या समाधान की कुंजी तथा पथ प्रेरक साहित होगी।

“शुभकामनाओं सहित”





## ऑपरेशन रिलीफ : उद्देश्य

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ कई बार वास्तविक रूप से आम जनता तक नहीं पहुँच पाता है व कई गरीब व्यक्ति राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। किसी योजना के लाभ हेतु गरीब काश्तकार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते हैं व उनका कार्य समय पर नहीं हो पाता है। इन समस्याओं का एक स्थान से त्वरित निस्तारण हो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा शीघ्र प्रशासन गांवों के संग अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अभियान से पूर्व पात्र व वंचित परिवारों व व्यक्तियों की पहचान व सूचीबद्ध करने हेतु राजसमन्द उपखण्ड प्रशासन की ओर से 'ऑपरेशन-रिलीफ' अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रयास यह रहेगा कि सभी पात्र व वंचित व्यक्तियों तक विभिन्न विभागों की विविध योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। इस हेतु गांव व पंचायत स्तर पर वंचित समूह की पहचान की जाकर आवश्यकतानुसार मौके पर ही लाभ प्रदान कराने की व्यवस्था की जायेगी।

वर्तमान डिजिटल क्रांति व सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रयास रहेगा कि सूचनाओं को आमजन के लिये उपलब्ध करवाया जा सके।

# उपखण्ड – राजसमन्द



**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द**

क्रमांक :- राजस्व/प्रशा. गांवों के संग/2021/

दिनांक :- 05.08.2021

**आदेश**  
**(ऑपरेशन रिलिफ)**

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक: प.12(2) राज-1/2020 दिनांक 09.07.2020 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के पत्रांक प.12/17( )राजस्व/प्रगांकेसंअ 21/2021/1164-91 दिनांक 15.07.2021 की अनुपालना में उपखण्ड क्षेत्र राजसमन्द में प्रशासन गांवों के संग अभियान कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के संबंध में प्री-कैम्प 'ऑपरेशन रिलिफ' प्रत्येक ग्राम पंचायतवार निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

**पंचायत समिति राजसमन्द**

क्र.सं.	दिनांक	वार	ग्राम पंचायत	शिविर स्थल का नाम
1	16.08.2021	सोमवार	पडासली	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
2	17.08.2021	मंगलवार	साकरोदा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
3	18.08.2021	बुधवार	बोरज	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
4	20.08.2021	शुक्रवार	भावा, भाणा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
5	23.08.2021	सोमवार	बड़ारड़ा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
6	24.08.2021	मंगलवार	देवपुरा	रा.मा.वि. देवपुरा
7	25.08.2021	बुधवार	बामनटुकड़ा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
8	26.08.2021	गुरुवार	बिनोल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
9	27.08.2021	शुक्रवार	धांयला	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
10	31.08.2021	मंगलवार	खटामला, घाटी	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र खटामला रा.उ.प्रा.वि. रावों का खेड़ा
11	01.09.2021	बुधवार	आत्मा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
12	02.09.2021	गुरुवार	पसुन्द	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
13	03.09.2021	शुक्रवार	कुंवारिया	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
14	06.09.2021	सोमवार	केलवा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
15	07.09.2021	मंगलवार	तासोल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
16	08.09.2021	बुधवार	कानादेव का गुड़ा	पुराना राजीव गाँधी स्कूल भवन ढिकला कानादेव का गुड़ा

17	09.09.2021	गुरुवार	वणार्ई	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
18	13.09.2021	सोमवार	एमडी, भाटोली	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
19	14.09.2021	मंगलवार	महा. मादड़ी	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
20	15.09.2021	बुधवार	पिपली आचार्यान	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
21	17.09.2021	शुक्रवार	मुण्डोल, पीपलांत्री कला	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
22	20.09.2021	सोमवार	पीपरड़ा, सांगठकला	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
23	21.09.2021	मंगलवार	फियावड़ी	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
24	22.09.2021	बुधवार	खण्डेल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
25	23.09.2021	गुरुवार	पुठोल	आर.के रा.उ.प्रा.वि. पुठोल
26	24.09.2021	शुक्रवार	सुन्दरचा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
27	27.09.2021	सोमवार	राज्यावास, मोही	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
28	28.09.2021	मंगलवार	फरारा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
29	29.09.2021	बुधवार	पीपली अहिरान	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र

(डॉ. दिनेश राय सापेला)  
उपखण्ड अधिकारी  
राजसमन्द

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द ।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द ।
3. उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा ।
4. तहसीलदार कुंवारिया/राजसमन्द/रेलमगरा ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द/रेलमगरा
6. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी  
राजसमन्द

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द**

क्रमांक :- राजस्व/प्रशा. गांवों के संग/2021/1847

दिनांक :- 22.07.2021

राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक: प.12(2) राज-1/2020 दिनांक 09.07.2020 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के पत्रांक प.12/17( )राजस्व/प्रगांकेसंअ 21/2021/1164-91 दिनांक 15.07.2021 की अनुपालना में उपखण्ड क्षेत्र राजसमन्द में प्रशासन गांवों के संग अभियान कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम तैयार कर भिजवाया गया था उसमे सहवन से दो ग्राम पंचायतो के नाम दर्ज होने से रह जाने से संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

**पंचायत समिति राजसमन्द**

क्र.सं.	दिनांक	वार	ग्राम पंचायत	शिविर स्थल का नाम
1	02.10.2021	शनिवार	पडासली	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
2	05.10.2021	मंगलवार	भावा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
3	06.10.2021	बुधवार	आत्मा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
4	08.10.2021	शुक्रवार	तासोल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
5	11.10.2021	सोमवार	बड़ारड़ा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
6	12.10.2021	मंगलवार	वणार्ई	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
7	20.10.2021	बुधवार	बामनटुकड़ा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
8	21.10.2021	गुरुवार	बिनोल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
9	22.10.2021	शुक्रवार	धांयला	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
10	25.10.2021	सोमवार	खटामला	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
11	26.10.2021	मंगलवार	बोरज	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
12	28.10.2021	गुरुवार	पसुन्द	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
13	29.10.2021	शुक्रवार	कुंवारिया	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
14	01.11.2021	सोमवार	केलवा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
15	02.11.2021	मंगलवार	घाटी	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
16	03.11.2021	बुधवार	कानादेव का गुड़ा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
17	08.11.2021	सोमवार	भाणा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
18	09.11.2021	मंगलवार	एमड़ी	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
19	11.11.2021	गुरुवार	मोही	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र

20	12.11.2021	शुक्रवार	पिपली आचार्यान	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
21	15.11.2021	सोमवार	सांगठकला	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
22	16.11.2021	मंगलवार	राज्यावास	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
23	17.11.2021	बुधवार	मुण्डोल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
24	18.11.2021	गुरुवार	फरारा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
25	22.11.2021	सोमवार	पीपलांत्री कला	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
26	23.11.2021	मंगलवार	पीपरडा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
27	24.11.2021	बुधवार	देवपुरा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
28	25.11.2021	गुरुवार	पुठोल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
29	26.11.2021	शुक्रवार	सुन्दरचा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
30	29.11.2021	सोमवार	भाटोली	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
31	30.11.2021	मंगलवार	साकरोदा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
32	06.12.2021	सोमवार	महा. मादडी	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
33	10.12.2021	शुक्रवार	फियावडी	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
34	14.12.2021	मंगलवार	पीपली अहिरान	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
35	17.12.2021	शुक्रवार	खण्डेल	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र

(डॉ.दिनेश राय सापेला)  
उपखण्ड अधिकारी  
राजसमन्द

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द ।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द ।
3. उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा ।
4. तहसीलदार कुंवारिया / राजसमन्द / रेलमगरा ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द / रेलमगरा
6. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी  
राजसमन्द

## राजस्व विभाग

योजना/कार्य का नाम	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ	स्वीकृत करने वाले अधिकारी
नामान्तरकरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तैयारी अवधि के दौरान समस्त पटवारी अपने अपने क्षेत्र में जमाबन्दियों का पठन-पाठन कर नामान्तरकरणों को चिन्हित करेंगे।</li> <li>2. NHAI से संबंधित नामान्तरण।</li> </ol>	विरासत, बेचान, दान, हकत्याग, उपहार, रहननामा, रहनमुक्त से संबंधित नामान्तरकरण तैयारी शिविर में ऑनलाईन दर्ज कर अधिकतम काश्तकारों को लाभान्वित करने का प्रयास	तहसीलदार
जनोपयोगी प्रस्ताव	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नये कुओं का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन।</li> <li>2. आम रास्तो का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन।</li> <li>3. श्मशान से संबंधित प्रस्ताव तैयार करवाना।</li> <li>4. विद्यालयों को आवश्यकतानुसार भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार कराना।</li> </ol>	काश्तकारों को लाभान्वित करने का प्रयास	तहसीलदार

	5. जनोपयोगी – सामुदायिक भवन, आबादी विस्तार एवं ग्राम पंचायत द्वारा चाहे गये प्रस्ताव तैयार करना ।		
राजस्व रेकॉर्ड की शुद्धि	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. तहसील राजसमन्द व कुंवारिया ऑनलाईन हो चुकी है ऑनलाईन के दौरान सहवन से राजस्व रेकॉर्ड में हुई जमाबन्दी एवं नक्शे की शुद्धियों की दुरस्ती हेतु शुद्धिपत्र एवं नियम 136 के प्रस्ताव तैयार करना ।</li> <li>2. काश्तकारों के नाम एवं जाति के सम्मानसूचक दर्ज करने के प्रस्ताव तैयार करना ।</li> </ol>	-----do-----	तहसीलदार
राजस्व रेकॉर्ड की प्रतिलिपि	काश्तकारों को वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड यथा- जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं खसरा गिरदावरी की कम्प्यूटराईज्ड प्रतिलिपियां उपलब्ध कराना ।	-----do-----	



खातेदारी अधिकार	जिन गैर खातेदारों द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गयी है उनको खातेदारी अधिकार प्रदान करना ।	-----do-----	
सहमति विभाजन	काश्तकारों के खातों का सहमति विभाजन ।	-----do-----	
सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी	काश्तकारों को सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करना ।	-----do-----	
अतिक्रमण की बेदखली	जिन प्रकरणों में भौतिक बेदखली के आदेश हैं उनकी पालना एवं शिविर में अतिक्रमण संबंधी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण	-----do-----	
कुआ नियमन	प्राप्त आवेदनों का निस्तारण	-----do-----	
न्यायालय की PD, FD की पालना	न्यायालय की अवशेष PD तैयार करना एवं प्राप्त FD का राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करना ।	-----do-----	
प्रमाण पत्र संबंधी कार्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जाति प्रमाण पत्र</li> <li>2. मूल निवास प्रमाण पत्र</li> <li>3. EWS प्रमाण पत्र</li> <li>4. ऋण हेतु कृषक प्रमाण पत्र</li> </ol>	रिपोर्ट संबंधित कार्य कर अधिकतम काश्तकारों को लाभान्वित करने का प्रयास	

	5. कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र		
अन्य विभागो से संबंधित कार्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पुश्तैनी मकानों के पट्टे हेतु आवश्यक कार्यवाही</li> <li>2. खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन पत्रों की जांच</li> <li>3. सामाजिक सुरक्षा हेतु पेंशन प्रकरणों का सत्यापन ।</li> <li>4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदनों की जांच ।</li> <li>5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही</li> <li>6. KCC हेतु आवेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही ॥</li> <li>7. मनरेगा के केटेगरी 4 के आवेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही ।</li> <li>8. बिजली कनेक्शन के आवेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही ।</li> </ol>	-----do-----	

## पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	55/58 वर्ष से अधिक आयु के महिला/पुरुष, रू 48000/- प्रतिवर्ष, बीपीएल, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया, कथौडी, खैरवा जाति के परिवारों को आय सीमा में छुट	ई मित्र पर	750 रू. प्रतिमाह— 75 वर्ष तक एवं 75 वर्ष से अधिक आयु को 1000रू. प्रतिमाह
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	18 वर्ष एवं अधिक आयु की विधवा/तलाकषुदा अथवा परित्यक्ता महिला, रू. 48000/- प्रतिवर्ष, बीपीएल, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया, कथौडी, खैरवा जाति के परिवार पंजीकृत एचआईवी एड्स को आय सीमा में छुट	ई मित्र पर	55 वर्ष तक की महिला को 500रू प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक 750रू. प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष तक 1000रू. प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक को 1500रू. प्रतिमाह
मुख्यमंत्री निःषक्त सम्मान पेंशन योजना	किसी भी आयु का निःषक्तजन, बौने (3 फुट 6 इंच से कम) तथा हिंजडे पेंशन योजना के लिए पात्र है , रू 60000/- प्रतिवर्ष , बीपीएल,	ई मित्र पर	55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को रू 750/-, 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर रू 1000/-,

	अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया, कथौडी, खैरवा जाति के परिवारों को आय सीमा में छुट		75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रु 1250 /—
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	केन्द्रीय बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुष, बीपीएल (केन्द्रीय सुची)	ई मित्र पर	750 रु. प्रतिमाह— 75 वर्ष तक एवं 75 वर्ष से अधिक आयु को 1000रु. प्रतिमाह
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	केन्द्रीय बीपीएल परिवारों के 40 वर्ष से 79 वर्ष तक की विधवा महिलाएं बीपीएल (केन्द्रीय सुची)	ई मित्र पर	55 वर्ष तक की महिला को 500रु प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक 750रु. प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष तक 1000रु. प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक को 1500रु. प्रतिमाह
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निषक्त:जन पेंशन योजना	केन्द्रीय बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष से 79 वर्ष तक के 80 प्रतिषत से अधिक नि:षक्तजन बीपीएल (केन्द्रीय सुची)	ई मित्र पर	55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को रु 750 /—, 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर रु 1000 /—,  75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रु 1250 /—

लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना	55 वर्ष अधिक आयु की महिला 58 वर्ष अधिक आयु के पुरुष लघु एवं सीमान्त कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप	ई मित्र पर	75 वर्ष से कम को 750 75 वर्ष व अधिक को 1000
स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत 2002 बेसलाइन सर्वे अनुसार पात्रता मे परिवार का चयन किया गया।	स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत 2002 बेसलाइन सर्वे अनुसार पात्रता मे परिवार का चयन किया गया। लाभार्थियों को 12000 राशि का अनुदान। बीपीएल/एसटी/एसी को पहले प्राथमिकता दी जाती है।	लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग पश्चात 12000 रूपये प्रोत्साहन राशि का अनुदान।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण	वाहन/कृषि उपकरण/ किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार का कोई सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत आदि नहीं होने पर साथ ही	नियमानुसार आवेदन	(वित्तीय लाभ) अनुदान राशि 3 किशतों में देय हैं। वर्ष 2016-17 में प्रथम किशत 30000 रु. , द्वितीय किशत 60000 रु. एवं तृतीय किशत 30000 रु. कुल राशि 120000 रु. का अनुदान देय हैं। 2017-18 एवं 2018-19 में प्रथम किशत 30000 रु., द्वितीय किशत 48000 रु. एवं तृतीय किशत 42000 रु. कुल राशि

			120000 रू. का अनुदान देय हैं। 2019-20 में प्रथम किश्त 15000 रू., द्वितीय किश्त 45000 रू. एवं तृतीय किश्त 60000 रू. कुल राशि 120000 रू. का अनुदान देय हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत 90 अकुशल मानव दिवस के रूप में अधिकतम राशि 17910 रू. का अनुदान देय हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु राशि 12000 रू. का अनुदान देय हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	आमजन	नियमानुसार आवेदन	रोजगार उपलब्ध कराना

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द

पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ
<p>अनाथ बच्चे/मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास माता पिता के बच्चे/निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे/पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे/एच. आई.वी. एड्स पीडित माता पिता के बच्चे/कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता के बच्चे/नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे/विशेषयोग्यजन माता-पिता के बच्चे/तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चों के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये संचालित की जा रही है।</p>	<p>आवेदन <a href="http://sjms.rajasthan.gov.in">sjms.rajasthan.gov.in</a> पर ऑनलाईन करें।</p>	<p>0 से 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो आगंनवाडी में अध्ययनरत हो को 500 रु प्रतिमाह प्रति बालक एवं 6 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो विद्यालय में अध्ययनरत हो को 1000 रु प्रति बालक प्रतिमाह देय है। विधवा एवं नाता पालनहार को छोड़कर शेष बच्चों को अतिरिक्त प्रति संतान 2000 रु. प्रति वर्ष एक मुश्त अनुदान देय है। पालनहार की <b>वार्षिक आय रु. 1.20 लाख से अधिक नहीं</b> होनी चाहिए। पालनहार एवं बच्चे <b>कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो।</b></p>
<p>सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों की कन्याओं, अन्त्योदय परिवारों की कन्या, आस्थाकार्ड धारी परिवार की कन्याओं तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवार जिसमें कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। परिवारों की प्रथम दो पुत्रियों के विवाह पर अनुदान देय है।</p>	<p>विवाह तिथि से छः माह के भीतर ऑनलाईन <a href="http://sjms.rajasthan.gov.in">sjms.rajasthan.gov.in</a> पर आवेदन करने पर सत्यापन के पश्चात् राशि देय हैं। विवाह योग्य पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन के साथ बीपीएल, अन्त्योदय, आस्था कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, आयु संबंधित प्रमाणपत्र, विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र, विवाह कार्ड इत्यादि संलग्न कर आवेदन करने पर विभाग द्वारा अनुदान देय है। यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त कर रही</p>	<p>ऐसी कन्या के विवाह पर अधिकतम 31000 रु., 10 वीं उत्तीर्ण हो तो अधिकतम 41,000 रु. एवं स्नातक उत्तीर्ण हो तो अधिकतम 51,000 रु. अनुदान देय है।</p>

	है तो विधवा पेंशन का पीपीओ, आय प्रमाण पत्र संलग्न करे, यदि विधवा पेंशन प्राप्त नहीं कर रही है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
ऐसे निःशक्त छात्र-छात्रा जो राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हो, परिवार/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से अधिक न हो, को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान हैं।	आवेदन के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र, गत कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि संस्था प्रधान के माध्यम से विभाग को अग्रेषितकिये जाने पर विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देय हैं।	जिसमें कक्षा 01 से महाविद्यालय स्तर पर 40 रु. से 750 रु. प्रतिमाह तक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत फीस का पुर्नभरण किया जाता हैं।
आवेदनकर्ता जो राजस्थान मूल के स्थायी निवासी होकर वर की आयु 21वर्ष, वधु की आयु 18 वर्ष की हो,	विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन <a href="http://sjms.rajasthan.gov.in">sjms.rajasthan.gov.in</a> पर ऑनलाईन करने पर सत्यापन के पश्चात राशि देय है। इसके एक पक्ष अनुसूचित जाति का तथा दुसरा पक्ष स्वर्ण हिन्दु होना आवश्यक है।	विवाह करने पर 5.00 लाख रूपये प्रोत्साहन राशि देय है।
ऐसे निःशक्तजन जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष की हो एवं निःशक्तता 40प्रतिशत से अधिक हो, जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों मासिक आय 50,000 रु. से अधिक न हो को अधिकतम 5.00 लाख रु. की लागत तक के व्यवसाय या स्वरोजगार की गतिविधि के लिए स्वीकृत ऋण की 50 प्रतिशत या 50 हजार रु. दोनो में से जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।	आवेदन पत्र के साथ निःशक्त प्रमाण पत्र, संबन्धित व्यवसाय का कोटेशन, शपथ पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने पर विभाग द्वारा सुविधा देय हैं।	स्वीकृत ऋण की 50 प्रतिशत या 50 हजार रु. दोनो में से जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।



ऐसे निःशक्त युवक/युवतियां जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रु. से अधिक ना हो एवं युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, को विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में विवाह के 15 दिन पूर्व या विवाह पश्चात् छः माह तक आवेदन करने पर 50,000 रु. (निर्धारित तिथि से) अनुदान देय हैं।	आवेदन के साथ निःशक्तता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, निर्धारित शपथ पत्र संलग्न करने पर अनुदान देय हैं।	निर्धारित प्रपत्र में विवाह के 15 दिन पूर्व या विवाह पश्चात् छः माह तक आवेदन करने पर 50,000 रु. (निर्धारित तिथि से) अनुदान देय हैं।
राजस्थान मूल का ऐसा निःशक्तजन जिनका परिवार आयकर दाता नहीं हो एवं 40 प्रतिशत से अधिक की निःशक्तता हो	निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर जॉच उपरान्त सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।	अधिकतम 10,000 रु. तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण यथा ट्राईसाईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, व्हील चेयर, छडी, टेप रिकॉर्डर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हैं।
विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिला जिसकी आयु 18-50 वर्ष तक हो, जो प्रार्थना पत्र देने की तिथि के तीन वर्ष पूर्व से राजस्थान में रह रही हो। उसके परिवार का कोई सदस्य 20 वर्ष या अधिक आयु का ना हो	नियमानुसार आवेदन	विधिवत पुनर्विवाह करने पर उपहार स्वरूप 30000 रु. की सहायता दी जाती है।
परिवार में दो या दो से अधिक निःशक्तजन हो एवं कुल वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं हो आस्था कार्ड जारी कर उन्हें बी.पी.एल परिवार के समान मानते हुऐ वे सभी सुविधायें दी जावेगी, जो एक बी.पी.एल परिवार प्राप्त कर रहा हैं।	नियमानुसार आवेदन	एक बीपीएल परिवार को प्राप्त योजना
स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अनु. जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार करने पर।	जिला कलक्टर महोदय के समक्ष आवेदन करने पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन कर सहायता राशि दी जाती	विभिन्न मामलों में 25 हजार से 8.25 लाख रूपये तक की सहायता राशि देय है।

	है। प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन ssoपोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है।	
अनु.जाति/जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, के छात्र जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये ओबीसी, ईबीसी के राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी वार्षिक आय सीमा 1,00,000 रु. व ओ.बी.सी. के बीपीएल परिवार, अनाथ बच्चे, अंत्योदय परिवार, विशेषयोग्यजन, विधवा-तलाकशुदा के बच्चों, को प्राथमिकता से नियमानुसार फीस की राशि का पुर्नभरण देय हैं। इस हेतु सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र, फीस की मूल रसीद, जाति प्रमाण पत्र, गत परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका इत्यादि संलग्न कराना आवश्यक हैं।	छात्र द्वारा ऑनलाईन sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन करना होता है।	समय समय पर जारी विभागीय सकूलर अनुसार लाभ।
55/58 वर्ष से अधिक आयु के महिला/पुरुष, रु 48000/- प्रतिवर्ष, बीपीएल, अन्तोदय परिवार,आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया, कथौडी,खैरवा जाति के परिवारों को आय सीमा में छुट	ई मित्र पर	750 रु. प्रतिमाह- 75 वर्ष तक एवं 75 वर्ष से अधिक आयु को 1000रु. प्रतिमाह

<p>18 वर्ष एवं अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला, रू. 48000/- प्रतिवर्ष, बीपीएल, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया,कथौडी,खैरवा जाति के परिवार पंजीकृत एचआईवी एड्स को आय सीमा में छुट</p>	<p>ई मित्र पर</p>	<p>55 वर्ष तक की महिला को 500रू प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक 750रू. प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष तक 1000रू. प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक को 1500रू. प्रतिमाह</p>
<p>किसी भी आयु का निःशक्तजन, बौने (3 फुट 6 इंच से कम) तथा हिंजडे पेंशन योजना के लिए पात्र है , रू 60000/- प्रतिवर्ष , बीपीएल, अन्तोदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया, कथौडी,खैरवा जाति के परिवारों को आय सीमा में छुट</p>	<p>ई मित्र पर</p>	<p>55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को रू 750/-, 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर रू 1000/-, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू 1250/-</p>
<p>केन्द्रीय बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला पुरुष, बीपीएल (केन्द्रीय सुची)</p>	<p>ई मित्र पर</p>	<p>750 रू. प्रतिमाह- 75 वर्ष तक एवं 75 वर्ष से अधिक आयु को 1000रू. प्रतिमाह</p>
<p>केन्द्रीय बीपीएल परिवारों के 40 वर्ष से 79 वर्ष तक की विधवा महिलाएं बीपीएल (केन्द्रीय सुची)</p>	<p>ई मित्र पर</p>	<p>55 वर्ष तक की महिला को 500रू प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष तक 750रू. प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष तक 1000रू. प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक को 1500रू. प्रतिमाह</p>

<p>केन्द्रीय बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष से 79 वर्ष तक के 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्तजन बीपीएल (केन्द्रीय सुची)</p>	<p>ई मित्र पर</p>	<p>55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को रू 750 /—, 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर रू 1000 /—, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू 1250 /—</p>
<p>कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवाओं एवं उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना है।</p>	<p>आवश्यक दस्तावेज  1. मूल निवास प्रमाण पत्र  2. आधार कार्ड  3. जनआधार कार्ड(आवश्यक रूप से अनिवार्य है)  4. बच्चो का आधार कार्ड एवं अध्ययन प्रमाण पत्र  5. मृत्यु प्रमाण पत्र  6. राजकीय सेवा मे न होने का प्रमाण पत्र  7. पुनर्विवाह नही करने का प्रमाण पत्र।  <b>नोट:—</b> अनाथ बच्चों के लिए प्रपत्र अ, पालहार बच्चों के लिए प्रपत्र ब, एवं विधवा महिला के लिए प्रपत्र स आवश्यक रूप से भरकर संलग्न करें।</p>	<p><b>लाभ:—</b>  1. अनाथ बालक/बालिको के लिए क. 100000 /— रू. की राशि प्रत्येक बालक/बालिका को एकमुश्त दी जायेगी।  ख. 18 वर्ष की आयु पूण करने तक 2500 रू. प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका को दिये जायेंगे।  ग. 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 500000 रू. प्रत्येक बालक/बालिका को एकमुश्त सहायता दी जावेगी।  2. विधवा महिला हेतु  क. 100000 /— रू. प्रत्येक बालक/बालिका को एकमुश्त दी जायेगी।  ख. 1500 रू. प्रतिमाह पेंशन दी जावेगी।  3. पालनहार सहायता(विधवा महिला के बालक/बालिका हेतु)  क. 1000 रू. की राशि प्रति बालक/ बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर दी जावेगी।  ख. 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय समाग्री हेतु 2000 रू. की राशि प्रति बालक/बालिका को प्रति वर्ष दी जावेगी।</p>

## शिक्षा विभाग

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ	स्वीकृत अधिकारी
1	छात्रवृत्ति योजना	सभी वर्ग SC/St/OBC/SBC/अल्पसंख्यक	—	—	—
अ	कक्षा 6-8 9-10	नियमानुसार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार	पात्र छात्र-छात्राओं को शालादर्पण पर <b>Online</b> किया जाता है।	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति	1 PEEO 2 DEO. Sec.
ब	कक्षा 11-12	सभी वर्ग के छात्र/छात्रा नियमानुसार दी गई गाइडलाइन के अनुसार	पात्र छात्र/छात्राओं स्वयं के <b>SSO ID</b> द्वारा व्दसपदम भरकर <b>Submit</b> करते है।	उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति	1 PEEO 2 DEO. Sec.
स	अल्पसंख्यक, विशेष समुह, कारागिल युद्ध (प्रो एण्ड पोस्ट) भूतपूर्वसैनिक	सभी वर्ग के छात्र/छात्रा नियमानुसार दी गई गाइडलाइन के अनुसार	पात्र छात्र/छात्राओं स्वयं के <b>SSO ID</b> द्वारा <b>Online</b> भरकर <b>Submit</b> करते है।		1 PEEO 2 DEO. Sec.
	प्रोत्साहन योजना				
	बालिका प्रोत्साहन पदमाक्षी प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार	उ.मा. परीक्षाओं में 75 प्रतिशत अंक वाली छात्राएँ 8, 10 एवं 12 की राज्य स्तर पर प्रथम छात्राए	मा. शि. बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट अनुसार	पात्र छात्र/छात्रा को नकद पुरस्कार	मा. शि. बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट

		मा.शि. बोर्ड में 75 प्रतिशत से अधिक			
	कस्तुरबा गांधी सावधि जमा योजना पण्डित दीनदयाल उपाध्याय	आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राएँ परीक्षा द्वारा	परीक्षा एवं चयन	पात्र छात्र/छात्रा को नकद पुरस्कार	परीक्षा
	राज्य प्रतिभा खोज इन्सपायर्ड अवार्ड मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ	परीक्षा विज्ञान छात्र/छात्रा जिले में मा. शि. बोर्ड में प्रथम/द्वितीय छात्राएँ	परीक्षा में चयन मा. शि. बोर्ड की लिस्ट द्वारा	पात्र छात्र/छात्रा को नकद पुरस्कार	परीक्षा विद्यालय स्तर पर मा. शि. बोर्ड द्वारा
	देवनारायण योजना	कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा द्वारा	गुरुकुल द्वारा	पात्र की पढाई कक्षा 12 तक निःशुल्क	परीक्षा सम्बन्धित एजेन्सी
3	पालनहार योजना	अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिनके माता/पिता या दोनों में से एक की मृत्यु पर पालनकर्ता जिसकी आय 1.20 लाख रूपाये से कम है। उन्हें पात्र माना जाता है।	अध्ययनरत छात्र को ऑनलाईन फार्म भरकर समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत	पालनहार 500/-रू. प्रतिमाह	समाज कल्याण
4	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजन	विभिन्न कक्षाओं में दूर से पढने आने वाले छात्र छात्राओं को	PEEO द्वारा चिन्हीकृत छात्र/छात्राएँ	कक्षा 1-8 - 2किमी. दूर से आने वाले छात्र कक्षा	PEEO द्वारा शालादर्पण

		ट्रान्सपोर्ट वाउचर का लाभ दिया जाता है।		9-12 - 5किमी. दूर से आने वाले छात्र	पर DEO. Sec. द्वारा
5	साईकिल योजना	कक्षा 9 में नियमित अध्ययनरत छात्राएँ	PEEO द्वारा शालादर्पण पर मांग द्वारा	प्रत्येक कक्षा 9 की प्रथम बार अध्ययनरत छात्रा को साईकिल	DEO. Sec.
6	दिव्यांग छात्र/छात्राओं को अंग उपकरण	दिव्यांग छात्र/छात्रा जो 40 प्रतिशत से अधिक है।	समग्र शिक्षा द्वारा केम्प लगाकर	ट्राइसाईकिल वैशाखी कृत्रिम हाथ/पैर	CDEO स्तर पर
7	लैपटॉप वितरण योजना	कक्षा 8-10 एवं 12 में प्रथम आने वाले छात्र/छात्रा या 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा	मा.शि. बोर्ड द्वारा जारी लिस्ट एवं DIET द्वारा जारी लिस्ट	लैपटॉप	DEO. Sec.

## श्रम कल्याण विभाग, राजसमन्द

योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ	स्वीकृत अधिकारी
निर्माण श्रमिक का पंजीयन	<p>भवन एवं संनिर्माण कार्यो में संलग्न निर्माण श्रमिक</p> <p><b>पात्रता शर्ते –</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 18 से 60 आयु</li> <li>2. पिछले 12 माह में 90 दिन या अधिक निर्माण कार्य में संलग्न है।</li> </ol>	<p>आवेदन पत्र श्रम विभाग की ऑनलाईन पोर्टल <a href="https://ldms.rajasthan.gov.in">https://ldms.rajasthan.gov.in</a> पर करे आवेदन ई-मित्र केन्द्र या स्वयं की id से किया जा सकता है।</p> <p>पंजीयन आवेदन हेतु दस्तावेज – (स्व सत्यापित छाया प्रतियाँ )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आधार,</li> <li>2.भामाशाह/जनआधार,</li> <li>3. बैंक खाते के पास बुक के विवरण के प्रथम पृष्ठ की प्रति</li> <li>4. निर्माण श्रमिक का संबंधित नियोजक प्रपत्र अ/ब/स/द में से भरे।</li> </ol> <p>पंजीयन अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –</p> <p>– जिला कार्यालय में संबंधित निरीक्षक जाँच कार्य कर प्रमाणित की संतुष्टि होने पर पंजीयन शुल्क जमा कराने का संदेश मोबाईल पर एसएमएस द्वारा श्रमिक को भेजा जाता है।</p>	<p>पंजीकृत हिताधिकारी BOCW बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र</p>	श्रम निरीक्षक



		– पंजीयन शुल्क एवं अंशदान राशि के 85/- रूपये 5 वर्ष के लिए रहेगी ।		
हिताधिकारियों के द्वारा योजना आवेदन की प्रक्रिया	भवन एवं निर्माण श्रमिक के रूप पंजीकृत आवेदन तिथि से पिछले 1 वर्ष में 90 या अधिक दिन निर्माण श्रमिक के रूप में नियोजित	आवेदन योजना का आवेदन हेतु "सरल फॉर्म" में आवेदन ऑनलाइन ही पोर्टल <a href="https://ldms.rajasthan.gov.in">https://ldms.rajasthan.gov.in</a> पर प्रस्तुत करावे। आवेदन विभाग के श्रम निरीक्षक की id पर प्राप्त होने के बाद योजना शर्तें, पात्रता, दस्तावेज अंशदान वैधता अवधि की जांच कर आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कमी की दशा में आवेदन पुनः कमी में भेजा जाता है इस हेतु एसएमएस पर सूचना भेजी जाती है। हिताधिकारी द्वारा सूचना भेजे जाने के 30 दिवस में पूर्ति नहीं करने पर आवेदन निरस्त हो जावेगा। स्वीकृत भूगतान <b>BFMS</b> प्रक्रिया सीधे हिताधिकारी के खाते में <b>NEFT/RTGS</b> राशि हस्तान्तरित की जाती है।	विभिन्न योजनाओं में सहायता राशि प्रदान की जाती है।	श्रम निरीक्षक एवं श्रम कल्याण अधिकारी
निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना	3 वर्ष से पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	2000/- औजार हेतु सहायता	श्रम निरीक्षक

	स्वयं के काम से संबंधित टूलकिट औजार खरीदने पर राशि देय			
निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना	पंजीकृत हिताधिकारी	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक राशि 12.00 रु. का शत प्रतिशत पुनर्भरण 2. PM जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत यानि 165.00 रु.पुनर्भरण 3. अटल पेशन योजना औसत वार्षिक अंशदान का 50 प्रतिशत पुनर्भरण	श्रम निरीक्षक
प्रसूति सहायता योजना	1. हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हो 2. प्रसव के समय महिला की आयु 20 वर्ष से कम नहीं 3. संस्थागत प्रसव पर ही देय 4. प्रसूति उपरान्त 6 माह के भीतर आवेदन करें।	ऑनलाइन आवेदन LDMS पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	देय सहायता राशि बालक के जन्म पर 20000/- व बालिका के जन्म पर 21000/- प्रसूति सहायता देय।	श्रम निरीक्षक
निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	1. मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो। 2. हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति)	निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना आवेदन – ऑनलाइन <a href="http://www.ldms.rajasthan.gov.in">www.ldms.rajasthan.gov.in</a> पर प्रस्तुत करे।	योजना के तहत छात्र छात्रा को प्रोत्साहन राशि देय होती है जोकि 8000 से 35000 तक कक्षानुसार होती है	श्रम निरीक्षक

	<p>योजना के लिए पात्र होंगे।</p> <p>3. हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्र</p> <p>4. कक्षा 6 से स्नातकोत्तर की कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।</p> <p>5. हिताधिकारी की पत्नी की छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।</p> <p>6. किसी वर्ष के लिए छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात्।</p> <p><b>दस्तावेज – (स्व सत्यापित छाया प्रतियाँ )</b></p> <p>1. पंजीयन प्रमाण पत्र</p> <p>2. हिताधिकारी के बैंक खाते की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति</p> <p>3. आधार एवं भामाशाह</p> <p>4. छात्रवृत्ति हेतु सुसंगत परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति</p>			
--	---	--	--	--

	5. संस्था प्रधान द्वारा निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर एवं मोहर			
निर्माण श्रमिक की सामान्य/दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो	दुर्घटना में घायल/मृत्यु होने के संबद्ध दस्तावेज के साथ सरल आवेदन में	सामान्य मृत्यु – 2 लाख, दुर्घटना मृत्यु – 5 लाख स्थायी अपंगता – 3 लाख आंशिक अपंगता – 1 लाख	श्रम कल्याण अधिकारी
शुभशक्ति योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिक हिताधिकारी की पुत्री कम से कम 8वीं उत्तीर्ण हो 18 वर्ष की आयु पूर्ण व अविवाहित हो।	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	55000/- कौशल विकास हेतु	श्रम कल्याण अधिकारी
निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना	1. निर्माण श्रमिक पंजीकृत 2. माता पिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 100000/- राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50000/-	श्रम कल्याण अधिकारी
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना	1. मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	1.50 लाख रु. तक की सीमा में अनुदान देय	श्रम कल्याण अधिकारी

	<p>2. पिछले 1 वर्ष में 90 दिन से अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में रहा हो</p> <p>3. विभिन्न आवास योजनाओं में लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखता हो लेकिन लाभ नहीं मिला हो।</p>			
सिलिकोसिस पीडित हिताधिकारियों हेतु सीयायता योजना	<p>1. सिलिकोसिस पीडित होना – न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड से प्रमाणित हो।</p> <p>2. निर्माण श्रमिक रूप में पंजीकृत</p>	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	पीडित को 2 लाख, मृत्यु की दशा में 3 लाख देय	श्रम कल्याण अधिकारी
निर्माण श्रमिक विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना	<p>1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो</p> <p>2. वीजा पासपोर्ट वैधता अवधि 6 माह</p> <p>3. विदेश में भावी नियोजन भी निर्माण श्रमिक के रूप में होने पर ही।</p>	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	विदेश में नियोजन उद्देश्य वीजा व्यय का पुनर्भरण अधिकतम – 5000/- देय	श्रम कल्याण अधिकारी
निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रोत्साहन राशि – 1. भाग लेने पर – 2 लाख	श्रम कल्याण अधिकारी

			2. कांस्य – 5 लाख 3. रजत – 8 लाख 4. स्वर्ण – 11 लाख	
निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना	मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थान द्वारा अधिकतम 5 लाख रु. तक का स्वीकृत ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण।	श्रम कल्याण अधिकारी
निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का IIT, IIM में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण योजना	1. निर्माण श्रमिक पंजीकृत 2. माता पिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो	ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र से आवेदक सभी दस्तावेजों को संलग्न कर आवेदन करें	हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री के IIT, IIM में प्रवेश लेने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना	श्रम कल्याण अधिकारी

## चिकित्सा विभाग, राजसमन्द

योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ
जननी सुरक्षा योजना	सभी गर्भवती महिलायें	मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। संस्थागत प्रसवो की संख्या में वृद्धि करना। इस योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानो एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा संस्थानो में प्रसव कराने पर प्रसुताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।	ग्रामीण क्षेत्र में प्रसवोपरान्त माताओं को 1400/- भाहरी क्षेत्र में प्रसवोपरान्त माताओं को 1000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना	सभी गर्भवती माताओं एवं बीमार नवजात शिशुओं के लियें	मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।	गर्भवती महिलाओं के लियें :- निःशुल्क संस्थागत प्रसव, आवश्यकतानुसार निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन, निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री, निःशुल्क जांच सुविधाएँ, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रक्त सुविधा, निःशुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट, यूजर चार्जस से छूट।  बीमार नवजात शिशुओं के लियें :- (1 वर्ष की उम्र तक) :- निःशुल्क ईलाज, निःशुल्क दवाईयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री, निःशुल्क जांच सुविधाएँ, निःशुल्क

			रक्त सुविधा, निःशुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट, यूजर चार्जस से छूट।
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	आमजन के लिए	चिकित्सालय में उपलब्ध	निःशुल्क दवाँ
निःशुल्क जांच योजना	आमजन के लिए	चिकित्सालय में उपलब्ध	निःशुल्क जाँच
प्रसव सखी	सभी प्रसुता महिलायें	प्रसव के दौरान प्रसुता को भावनात्मक सहारा एवं प्रसव पीड़ा सहने की भाक्ति देने में सहयोग के लियें परिवार की किसी महिला की प्रसव कक्ष में उपस्थिती सुनिश्चित करना।	प्रसव सखी के माध्यम से प्रसव पूर्व, प्रसव के समय एवं प्रसव पश्चात होने वाली चिकित्सकीय जटिलताओं को काफी हद तक कम करने में सहायक एवं मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
दक्षता	सभी प्रसुता महिलायें	कार्यक्रम के तहत मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु माता और नवजात शिशु को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण, प्रसव कक्ष का सुदृढीकरण, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, सेवा प्रदाताओं का कौशल विकास, डेटा प्रबंधन करना है।	प्रसुताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाना।



कुशल मंगल कार्यक्रम	उच्च जोखिम वाली सभी महिलाएं	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को विशेष महत्व प्रदान कर उनका चिन्हीकरण, लाईन लिस्टिंग, समय पर रेफरल, ट्रेकिंग उपचार एवं फालोअप कर उपयुक्त चिन्हीत चिकित्सा संस्थान पर संस्थागत प्रसव करवाना।	गर्भधारण योजना ,उच्च जोखिम वाली महिलाओं की जांच, स्टेट कॉल सेंटर द्वारा एचआरपी महिलाओं का फॉलोअप, रेफरल हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा, योजनाबद्ध संस्थागत प्रसव, माता एवं शिशु की प्रसवोत्तर देखभाल।
सुरक्षित मातृत्व दिवस	सभी गर्भवती माताएं	राजकीय संस्थानों पर उपलब्ध विशेषज्ञ सेवाओं का उपयोग करने के साथ साथ माह में एक निश्चित दिवस (शुक्रवार) को सीएचसी स्तर पर निजी सेवा में कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाएं लेते हुये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना।	गर्भवती माताओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण व फॉलोअप तथा प्रसव उपरान्त मां एवं बच्चे की स्वास्थ्य पोषण एवं परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह।
प्रसूति नियोजन दिवस	8-9 वें माह की गर्भवती मातायें	सुरक्षित प्रसव हेतु प्रसव की आवश्यकतानुसार प्रभावी प्रसव योजना बनाकर प्रसूता व परिजनो को सूचित करना। जिससे प्रसूतायें सही समय पर अस्पताल पहुंच सकें।	प्रतिमाह चौथे गुरुवार (राजकीय अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस) को प्रसूति नियोजन दिवस उपस्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किया जाता है। जिसमें गर्भवती माताओं के वजन, बीपी, हिमोग्लोबीन, पेट की जांच, बच्चे की स्थिति, फिटल हार्ट साउंड, मूत्र की जांच आदि की जाती है।

<p>प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान</p>	<p>सभी गर्भवती माताएं</p>	<p>प्रत्येक गर्भवती महिला की गर्भावस्था के दौरान कम से कम एक बार चिकित्सक द्वारा परीक्षण एवं जांच करना जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।</p>	<p>अभियान के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला की बेहतर देखभाल और उन्हें भात – प्रति मात संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करने हेतु प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपजिला / जिला / सैटेलाईट अस्पताल पर स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सक द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व की सभी जांचें निः शुल्क की जा रही हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को एएनसी सेवाओं के साथ ही उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की पहचान, फोलोअप, उपचार, रेफरल सुविधा भी प्रदान की जा रही है।</p>
<p>माँ</p>	<p>सभी धात्री माताएं एवं शिशु</p>	<p>स्तनपान एवं शिशु आहार के स्तर में सुधार लाने के लिये कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।</p>	<p>स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता पैदा करना। समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप। स्तनपान की दृष्टि से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना। सतत निगरानी एवं पुरस्कार।</p>

<p>राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)</p>	<p>जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मदरसों में मोबाईल हेल्थ टीमो के माध्यम से किया जाता है। यदि कोई बच्चा 30 चिन्हीत बीमारियों में से किसी से ग्रसित पाया जाता है तो इसे आगे के ईलाज के लिये रैफरल, फोलोअप निः शुल्क किया जाता है, साथ ही आव यक होने पर सर्जिकल इलाज भी निः शुल्क किया जाता है।</p>	<p>बाल विकास को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख विकार जन्मजात विकृति, कमियां, बिमारीयां, विकास में देरी एवं असक्षमता को समय पर पहचान कर इलाज करवाना है।</p>	<p>सरकारी चिकित्सा संस्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मदरसों में 18 वर्ष तक के सभी नामांकित सभी बच्चें</p>
<p>राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)</p>	<p>10-19 के तक के सभी किशोर – किशोरियां</p>	<p>किशोर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की उपलब्धता और उस तक पहुंच बढ़ाना।</p> <p>गुणवत्तापूरक किशोर परामर्श और स्वास्थ्य सेवओं को तक पहुंच और उनका समुचित उपयोग बढ़ाना।</p>	<p>किशोरों में पोषण सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, नशावृति से बचाव, गैर संक्रमणीय रोगों को दुरुस्त करना।</p>

		किशोरो के लिये सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण तैयार करने में बहु – क्षेत्रीय सहभागिता को बढ़ावा देना।	
<u>राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीडी)</u>	30 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग	<p>व्यवहार और जीवन शैली में परिवर्तन के माध्यम से नियंत्रण एवं रोकथाम करना।,</p> <p>शीघ्र उपचार एवं प्रबंधन उपलब्ध कराना।</p> <p>इनकी रोकथाम, निदान और उपचार हेतु स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करना।</p> <p>स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना तथा पुर्नवास, देखभाल के लिये क्षमता विकसित करना।</p>	<p>चिकित्सा संस्थानों में 30 वर्ष तक के सभी रोगियों का गैर संचारी रोगों को लेकर निःशुल्क स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार।</p> <p>हैल्थ वेलनेस सेंटर के अन्तर्गत गांवों में गैर संचारी रोगों को लेकर घर – घर सर्वे एवं स्क्रीनिंग।</p> <p>जिला चिकित्सालय में कैंसर रोग की स्क्रीनिंग एवं उपचार आवश्यकता होने पर निःशुल्क रैफर</p>
<u>राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी)</u>	सभी व्यक्ति	मुख सम्बन्धी स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों में सुधार, जैसे स्वस्थ आहार, मुख संबंधी स्वच्छता आदि और ग्रामीण व भाहरी आबादी में मुख संबंधी स्वास्थ्य	<p>दन्त रोग से सम्बन्धित चिकित्सा सेवायें समानरूप से उपलब्ध करवाना।</p> <p>ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क विशेष दन्त रोग निदान, इलाज शिविर का आयोजित करना।</p>

		<p>सेवाओं की पहुंच में समरूपता लाने का प्रयास करना।</p> <p>आरम्भ में तहसील या जिला स्तर के अस्पतालो में मुख सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाएं को सुदृढ कर मुख संबंधी रोगो की रूग्णता को कम करना।</p> <p>मुख संबंधी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रो व सामान्य स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था के साथ मुख संबंधी स्वास्थ्य की प्रसार व रोकथाम सेवाओं को जोड़ना।</p>	<p>आमजन में मुख स्वास्थ्य से सम्बन्धित जागरूकता फैलाना।</p>
<p><u>राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी)</u></p>	<p>सभी व्यक्ति</p>	<p>राज्य में अंधता के 2.24 प्रतिशत (1976) को घटा कर वर्ष 2020 तक 0.34 प्रतिशत तक लाना।</p>	<p>निःशुल्क मोतियाबिन्द के ऑपरेशन की सेवायें मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयो, अनियतकालिन कैम्पो एनजीओ/निजी चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध करवाना। अन्य आंखो से सम्बन्धित बिमारीयों के डायबिटिक रेटिनापैथी, ग्युकोमा, कॉर्नियल ट्रांसप्लान्टेशन, विट्रियो रेटिनल सर्जरी, चाइल्ड हुड ब्लाइण्डनेस का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। सरकारी स्कूलो में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की दृष्टी जांच</p>

			कर दृष्टीदोष वाले बच्चों को च मे का वितरण। आंख से सम्बन्धित रोगो से बचाव के लिये प्रि ाक्षणों एवं जागरूकता पैदा करना।
<u>राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)</u>	मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति	भविष्य में सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना।  सामान्य स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य की मांग को प्रोत्साहित करना।  मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।  सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधना को बढ़ाना।	मानसिक रोग से पीड़ित का उपचार, पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य नियंत्रण एवं प्रोत्साहन।
<u>राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मुलन कार्यक्रम (एनएलईपी)</u>	कुष्ठ रोगी	कुष्ठ रोग का प्राथमिक अवस्था में पहचान कर भीघ्न पूर्ण उपचार करना।  संक्रामक रोगियों का भीघ्न उपचार कर संक्रमण की रोकथाम।	कुष्ठ रोग से मुक्ति

		<p>नियमित उपचार द्वारा विकलांगता से बचाव ।</p> <p>विकृतियों का उपचार कर रोगियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाना ।</p> <p>स्वास्थ्य शिक्षा समाज में इस रोग के सम्बन्ध में फैली गलत भ्रान्तियों को दूर करना ।</p>	
<u>एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)</u>	सभी आयु वर्ग के व्यक्ति	<p>महामारी प्रवृत्त रोगों की प्रारम्भिक अवस्था में जांच करने हेतु सर्वेक्षण प्रणाली पर आधारित रोग सर्वेक्षण को सुदृढ बनाना ताकि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के उत्तर में सामयिक एवं प्रभावी जन स्वास्थ्य कार्यवाही को प्रारम्भ किया जा सकता है ।</p>	रोगों के रोकथाम में त्वरित कार्यवाही
<u>राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम</u>	सभी उम्र वर्ग के व्यक्ति	<p>तंबाकू नियंत्रण कानून और तंबाकू के उपयोग द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता प्रसारित करना ।</p> <p>तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना ।</p>	<p>तंबाकू का सेवन बहुत सारे पुराने रोगों, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों सहित कई स्वास्थ्यगत बीमारियों के मुख्य जोखिम के कारकों में से एक है ।</p> <p>तंबाकू नियंत्रण कानून के क्रियान्वयन एवं तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की</p>

		इस कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करना तथा इसकी वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है।	जानकारी देकर। आमजन में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना।
<u>आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना</u>	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना योजना के पात्र, संविदा कर्मी, लघुसीमांत किसान बिल्कुल निशुल्क एवं अन्य सभी परिवार सशुल्क।	योजना के अन्तर्गत प्रदेश में रहने वाले समस्त परिवारों को बिल्कुल कै तलेस ईलाज सम्बन्धित अस्पतालो में निःशुल्क दिया जा रहा है। इससे बिमारीयों पर लगने वाले खर्च को कम किया जा सकेगा।	परिवार को सामान्य बिमारीयों के लिये 50 हजार रूपयें और गम्भीर बिमारीयों के लिये 4 लाख 50 हजार तक का बीमा कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जा रहा है।
<u>104 / 108 निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं परिवहन सेवायें</u>	प्रदेश में निवासरत हर उम्र आयु व लिंग का व्यक्ति	घर बैठे चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श एवं शिकायत एवं सुझाव एवं परिवहन की सेवायें उपलब्ध करवाना।	फोन पर ही किसी भी व्यसन तम्बाकू भाराब जैसे नशे का छुड़वाले के लिये परामर्श। आयुष चिकित्सको से सलाह, एम्बुलेन्स सेवायें, मनोचिकित्सक से सलाह, अवैध लिंग जांच की सूचना देने, पोषण सम्बन्धी जानकारी, शिकायत एवं सुझाव जैसी सेवायें दी जा रही है।
<u>राज श्री योजना</u>			• बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजकीय अस्पताल में बेटी के जन्म पर राशि रूपयें 2500 /- रूपयें।



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• एक वर्ष पूर्ण होने एवं पूर्ण टीकाकरण होने पर 2500 /- रूपयें।</li> <li>• राजकीय स्कूल में पहली कक्षा में बालिका को प्रवेश लेने पर राशि 4000 /- रूपयें।</li> <li>• छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर राशि 5000 /- रूपयें।</li> <li>• 10 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर राशि 11000 /- रूपयें।</li> <li>• 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर राशि 25000 /- रूपयें।</li> <li>• प्रथम व दूसरी कि त का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एवं उसके प चात की कि तों का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।</li> </ul>
<u>बालिका सम्बल योजना</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• योजना के तहत दो बालिकाओं (पांच वर्ष से कम उम्र में) पर माता /पिता में किसी के भी द्वारा परिवार कल्याण का स्थायी साधन अपनाने पर बालिकाओं के नाम 10 हजार का युटीआई बॉण्ड दिया जाता है।</li> <li>• इस यूटीआई बॉण्ड का भुगतान लाभार्थी को 18 वर्ष की उम्र के बाद लगभग (रूपयें 43 हजार से 76,900 तक मार्केट वैल्यू) के अनुसार राशि मिलेगी।</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• योजना का उद्देश्य जनसंख्या स्थायित्व एवं बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना है।</li> </ul>
<u>ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति</u>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• यह समिति प्रत्येक राजस्व गांव में इस समिति का गठन किया गया है।</li> <li>• इसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत वाले गांव में सरपंच होते हैं, तथा गांव स्तर पर वार्ड सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं।</li> <li>• समिति की सचिव आशा सहयोगिनी होती है।</li> <li>• इस समिति का मुख्य कार्य गांव स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान एवं स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाना है।</li> <li>• प्रतिमाह इसकी मासिक बैठक होती है।</li> <li>• समिति को प्रतिवर्ष 10 हजार की अनटाईड फण्ड दिया जाता है। जिसके उपयोग के लिये दि 11 – निर्देश बने हुए हैं।</li> </ul>
<u>संशोधित राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम</u>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• क्षय रोग निवारण कार्यक्रम के तहत दो सप्ताह अधिक खांसी वाले रोगियों को चिन्हीत कर उनकी स्पूटम जांच करवाने एवं टी.बी पाये जाने पर निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना है। जिससे इस संक्रामक रोग से मुक्ति दिलाई जा सकें।</li> <li>• कार्यक्रम में तहत एमडीआरटी के मरीजों को जांच के लिये आने व जाने के</li> </ul>

			<p>परिवहन भुल्क का भुगतान किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रम के तहत टी.बी मरीजों को पोषण एवं आहार के लिये निक्षय पोषण योजना के तहत प्रतिमाह 500 रूपयें का सीधा भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।</li> <li>विभाग द्वारा समय – समय पर ग्रामीण एवं भाहरी क्षेत्रों में टी.बी रोगी खोज अभियान संचालित कर टी.बी से मुक्ति के लिये रोगियों का चिन्हीकरण एवं उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।</li> </ul>
<p><u>सिलिकोसिस रोग बचाव एवं रोकथाम</u></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>सिलिका से युक्त धूल में लगातार सांस लेने से फ़ैफ़ड़ों में होने वाली बिमारी को सिलिकोसिस कहा जाता है। इस बिमारी में पीड़ीत व्यक्ति की सांस फूलने लगती है और समय पर इलाज नहीं होने पर मृत्यु तक हो सकती है।</li> <li>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिलिकोसिस रोग से रोकथाम के लिये खनन बाहुल्य एवं खनन प्रसंस्करण ईकाईयों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन किया जाता है। तथा सिलिकोसिस संदिग्ध रोगियों का जिला स्तर पर न्यूमोकोकस बोर्ड के माध्यम से जांच पश्चात सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त का प्रमाणीकरण किया जाता है।</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>•सिलिकोसिस मरीजो को मासिक पेंशन 1500 रूपयें, मरीज के जीवित रहते दो लाख तथा मृत्यु होने पर परिवार के भरण – पोशण के लिये तीन लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है।</li></ul>
--	--	--	---

## आयुर्वेद विभाग

योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ	स्वीकृत अधिकारी
1. पंचकर्म चिकित्सा 2. औषधालय में आने वाले रोगियों की चिकित्सा 3. योग परामर्श 4. स्वास्थ्य जीवन शैली अभियान में विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं उद्बोधन वृक्षारोपण कार्यक्रम में औषधि पौधों का रोपण एवं उनकी उपयोगिता के बारे में आमजन को जानकारी।	समस्त आमजन	विभागीय औषधालयों भवन में चिकित्सालयों में उपलब्ध है।	समस्त आमजन	उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजसमन्द

## कृषि विभाग राजसमन्द

योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ
खेत तलाई (फार्म पौण्ड) निर्माण (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)	वर्षा जल संरक्षण हेतु 1200 घनमीटर (न्यूनतम 600 घन मीटर)के खेत तलाई निर्माण पर सभी श्रेणी के कृषकों को	नियमानुसार	लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000 रु. कच्चे फार्म पौण्ड के लिए व लागत का 60 प्रतिशत या 90000 रु. प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड के लिए, जो भी कम हो, अनुदान देय है। 1200 घनमीटर से अधिक/कम आकार के फार्म पौण्ड पर अनुदान राशि की गणना आनुपातिक आधार पर की जाकर अनुदान देय होगा।
पाईपलाईन (रा.कृ.वि.यो./ नमूप/ एन.एफ.एस.एम.)		नियमानुसार	लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 रु. प्रति मीटर एचडीपीई पाईप या 35 रु. प्रति मीटर पीवीसी पाईप या 20 रु. प्रति मीटर एच.डी.पी.ई. लेमिनेटेड ले-प्लेट ट्यूब पाईप अथवा अधिकतम 15000 रु. जो भी आनुपातिक रूप से कम हो अनुदान देय है।
विस्तारप्रशिक्षण(आत्मा) अन्तः/अन्तर्राज्जीय कृषक भ्रमण		5 से 7 दिवसीय भ्रमण इसके अन्तर्गत कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी एवं देखकर	उनकी कम खर्च में आय बढ़े एवं कृषि के उन्नत व नवीनतम तरीके अपनाये जा सकें। प्रतिभागियों के संख्या 40-50

		सीखने के उद्देश्य से भ्रमण करवाया जाता है।	प्रगतिशील (पंचायत समिति अनुसार) महिला/पुरुष कृषक।
कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि			10+2 (सीनियर सैकण्डरी):- 5000रु. प्रति वर्ष। कृषि स्नातक स्नातकोत्तर:- 12000रु. प्रति वर्ष पी.एच.डी.:- 15000 रु. प्रति वर्ष।
फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमायोजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)	<p>बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई नहीं कर पाता है तो यह जोखिम में शामिल है, उसे दावा राशि मिल सकेगी।</p> <p>ओले गिरना, जल भराव और भू-स्खलन से नुकसान होने पर खेतवार नुकसान का आंकलन कर दावा राशि प्रदान की जायेगी।</p> <p>फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और इस दौरान चक्रवात या बेमौसम वर्षा से नुकसान होता है तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी।</p>		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ मौसम में 2 प्रतिशत व रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक व उद्यानिकी फसलों हेतु 5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि रखी गई है।

	इस योजना के तहत बीमा इकाई क्षेत्रीय दृष्टिकोण आधार पर पटवार मंडल स्तर तथा व्यक्तिगत खेत स्तर पर लागू की है।		
जिप्सम वितरण कार्यक्रम (अ) क्षारीय भूमि सुधार (रा.कृ.वि.यो. / नमसा) (ब) पौषक तत्व (नमूप/एन.एफ. एस.एम.)	जिलेवार निर्धारित प्रति मै0 टन दर का 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर  किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराया जा रहा है।  जिप्सम का उपयोग मृदा सुधारक के रूप में मिट्टी की जांच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी.आर. वैल्यू) के अनुसार अधिकतम 5 मै0 टन प्रति हैक्टर प्रति कृषक अधिकतम 2 हैक्टर तक अनुदान देय है।		कृषकों को पोषक तत्वों के रूप में 250 किलो प्रति हैक्टर की दर से अधिकतम 2 हैक्टर हेतु अनुदान देय है।
मृदा परीक्षण कार्यक्रम	(अ) सॉयल हेल्थ कार्ड योजना  सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हैक्टर तथा असिंचित क्षेत्रों में 10 हैक्टर		



	<p>इकाई क्षेत्र से एक संयुक्त प्रतिनिधित्व नमूना।</p> <p>एकत्रित नमूनों में मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच।</p> <p>नमूनों की जांच – विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं आउटसोर्स के माध्यम से कराया जा रहा है।</p> <p>सॉयल हेल्थ कार्ड – ऑन लाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटाईज्ड सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।</p> <p>(ब) अन्य</p> <p>मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, पानी के नमूने की जांच, क्षारीय एवं लवणीय नमूनों की जांच, जिप्सम आवश्यकता की मात्रा हेतु जांच प्रत्येक प्रति नमूना राशि 5 रु. है।</p>		
परम्परागत कृषि	पर्यावरण व उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कृषि		

<p>परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)</p>	<p>में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग को कम करने हेतु जैविक खेती गतिविधियों के लिये सहायता दी जाती है। योजना कलस्टर (50 एकड़ क्षेत्र) आधारित है।</p> <p>इसमें जैविक बीज, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, रिकार्ड संधारण, मृदा नमूना संग्रहण एवं जांच, भूमि का जैविक परिवर्तन, तरल जैव उर्वरक, कृषक प्रशिक्षण, ढेंचा प्रयोग, वानस्पतिक काढा इकाई, अवशेष नमूनों का विश्लेषण, जैविक मेलों का आयोजन, तरल जैव कीटनाशी, नीम केक/नीम तेल एवं कृषि यंत्र परिवहन सुविधा आदि गतिविधियों हेतु कृषकों को तीन वर्ष की अवधि तक विभिन्न अनुदान सहायता देय है।</p>		
<p>(अ)सतत कृषि</p>	<p>यह समन्वित कृषि पद्धति हेतु कलस्टर (100 हेक्टर) आधारित मिशन है।</p>		<p>आदान की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25,000 रु. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।</p>

<p>नेशनल मिशन फोर संस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)</p>	<p>उद्यानिकी-आधारित कृषि पद्धति</p>		<p>पेड़-आधारित कृषि पद्धति – इस हेतु आदान की लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15,000 रु. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।</p> <p>पशुपालन-आधारित कृषि पद्धति – गाय/भैंस/डेयरी आधारित पद्धति – इसके अन्तर्गत पशु की कीमत, पशु हेतु एक वर्ष के लिये कन्सट्रेंट की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40,000 रु. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।</p> <p>बकरी/भेड़/मुर्गी/बतख-आधारित पद्धति – पशु/मुर्गी की कीमत, का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25,000 रु. प्रति हैक्टर फसल पद्धति सहित अनुदान देय है।</p>
<p>(ब) कृषि वानिकी सब मिशन अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु योजना।</p>	<p>कृषि भूमि पर वृक्षारोपण करने हेतु कृषकों को अनुदान देय है। जिसमें खेत की सीमा पर वृक्षारोपण हेतु 50 पौधें, कम घनत्व के वृक्षारोपण हेतु 100 से 500 पौधे, उच्च घनत्व के वृक्षारोपण हेतु 500 से 1000 पौधें तथा अति उच्च घनत्व के</p>		<p>कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या रु. 35/- प्रति पौधा अनुदान देय हैं।</p>

	वृक्षारोपण हेतु 1000 से 1200 पौधे प्रति हैक्टर लगाने पर		
फसल प्रदर्शन	आत्मा योजनान्तर्गत		4000 रु. प्रति प्रदर्शन 0.4 हैक्टर हेतु सहायता देय है।
	मूंगफली में		7500 रु.
	सोयाबीन में		4500 रु.
	अरण्डी, सरसों एवं अलसी में		3000 रु.
	तिल में		
	तारामीरा में		1800 रु.
	सरसों के साथ मधुमक्खी पालन पर		2090 रु.
	ग्वार में		5000 रु. प्रति हैक्टर
	गेहूं में		
	जौ में		6110 रु.
	मक्का व जौ में		6610 रु.
	खरीफ दलहन में		5000 रु. प्रति हैक्टर
	रबी दलहन में		5000 रु. प्रति हैक्टर

	ज्वार में वाणिज्यिक फसल (कपास) में बीज व अन्य व्यवस्थाओं के लिये		6710 रु 7500 रु 3670 रु. 7000 रु. प्रति हैक्टर
तारबन्दी पर अनुदान	अधिकतम 400 मीटर की सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40,000 रु. जो भी कम हो अनुदान देय है। 400 मीटर से कम की लम्बाई की तारबन्दी पर अनुदान राशि की गणना आनुपातिक आधार पर जाकर अनुदान देय होगा। सामुदायिक आधार पर न्यूनतम 5 कृषकों का समूह तथा 10 हैक्टर भूमि होना अनिवार्य होगा।		
मूंग, उड़द, मोठ, चंवला, अरहर, चना (एन.एफ.एस.एम.)	दलहन :- 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रु. प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।		

मोटा अनाज बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ (एन.एफ.एस.एम./रा.कृ.वि.यो.)	(अ) किस्में – दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का  (ब) संकर किस्में – दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का		50 प्रतिशत अथवा 1500 रु. प्रति क्विंटल, जो कम हो।  50 प्रतिशत अथवा 5000 रु. प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
गेहूं (एन.एफ.एस.एम.)	दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों पर		बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1000 रु. प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
ग्वार (रा.कृ.वि.यो.)	दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत		कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1200 रु. प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
गेहूं एवं धान (रा.कृ.वि.यो.)	दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का		कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1000 रु. प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
तिलहनी फसलें (राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन)	(अ) किस्में – 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की  (ब) संकर किस्में – 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित संकर किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण पर बीज की कीमत का		कीमत का 50 प्रतिशत या 2500 रु. प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। तिल हेतु उक्त अनुदान राशि 5000 रु. प्रति क्विं. देय है।

			कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 5000 रु. प्रति क्विं., जो भी कम हो।
आई.पी.एम. आधारित फार्मर फील्ड स्कूल प्रशिक्षण (नमूप)	30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु		26700 रु. सहायता देय है।
पौध संरक्षण उपकरण हस्तचलित (नमूप)			कीमत का 40 से 50 प्रतिशत या अधिकतम 600 रु. से 800 रु. सहायता देय है।
हस्तचलित (एन.एफ.एस.एम.) (दलहन व गोहूँ)			कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 600 रु कृषकों के लिए सहायता देय है।
पावर चलित (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता) (नमूप)			कीमत का 50 से 60 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रु. से 3800 रु. सहायता देय है।
पावर चलित (16 लीटर से अधिक क्षमता) (नमूप)			कीमत का 40 से 50 प्रतिशत या अधिकतम 8000 रु. से 10000 रु. सहायता देय है।

सीड ड्रेसिंग ड्रम (20 कि.ग्रा. एवं 40 कि.ग्रा.) (नमूप)			कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1750 रु. एवं 2000 रु.. तक सहायता देय है।
पौध संरक्षण रसायन/खरपतवारनाशी/बायो एजेण्ट/बायो पेस्टीसाईड पर अनुदान	नमूप/राज्य योजना/एन.एफ.एस.एम. (गेहूं/दलहन) योजनान्तर्गत कीमत का		कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रु. प्रति हैक्टर जो भी कम हो सहायता देय है।
ट्रेक्टर माउण्टेड (एन.एफ.एस.एम.)			कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रु. प्रति उपकरण सहायता देय है।
पावर चलित (पावर स्प्रेयर कम डस्टर/बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर)	राज्य योजना/एन.एफ.एस.एम. (गेहूं/दलहन) योजनान्तर्गत कीमत का		कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रु. प्रति उपकरण सहायता देय है।
यंत्रीकरण (ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड यंत्र)	सभी श्रेणी के कृषक	एन.एफ.एस.एम, एन.एम. एस.ए./नमूप हार्सपावर रेन्ज, SC/ST/लघु/सीमान्त व महिला कृषक	सामान्य कृषक
सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रु. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. से 44000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12000 रू. से 35000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>
डिस्क प्लाउ / डिस्क हैरो			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. से 44000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12000 रू. से 35000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>
रोटावेटर			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 35000 रू. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 35000 रू. से 63000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 28000 रू. से 50000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>

मल्टी क्रोप थ्रेसर			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40000 रू. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20000 रू. से 63000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16000 रू. से 50000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>
ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर (नमूप से स्वीकृत नहीं)			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रू. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. से 44000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12000 रू. से 35000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>
रिज फरों प्लांटर			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. से 63000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12000 रू. से 50000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>
मल्टी क्रोप प्लांटर			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. से 63000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12000 रू. से 50000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>
चिजलर/चिजलर प्लाउ (नमूप से स्वीकृत नहीं)			<ul style="list-style-type: none"> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 8000 रू. जो भी कम हो</li> <li>● 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक</li> <li>● मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 8000 रू. से 10000 रू. जो भी कम हो *</li> <li>● मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 6000 रू. से 8000 रू. जो भी कम हो *</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● *उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चलित यंत्र की बी.एच.पी. क्षमता पर आधारित है।</li> <li>● नोट :- 1. नमूप योजनान्तर्गत शक्ति/ट्रैक्टर चलित यंत्रों में ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर एवं चिजलर/चिजलर प्लाउ सम्मिलित नहीं है।</li> <li>● 2. अन्य सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।</li> </ul>
कस्टम हायरिंग योजना	<p>कस्टम हायरिंग सेन्टर आधारित कृषि उपकरणों हेतु सहायता :-</p> <p>राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि यंत्रिकरण द्वारा उन्नत कृषि यंत्रों को कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किये जाने वाले कस्टम हायरिंग सेन्टर को लागत के आधार पर 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।</p>	40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

<p>कृषकों को पुरस्कार (आत्मा योजना/राज्य योजना)</p>	<p>राज्य स्तरीय (2 नवाचारी कृषक) 50,000 रू., प्रति कृषक पुरस्कार देय है।</p> <p>जिला स्तरीय 25,000 रू., प्रति कृषक पुरस्कार देय है।</p> <p>पंचायत समिति स्तरीय 10,000 रू., प्रति कृषक पुरस्कार देय है।</p> <p>जैविक खेती पुरस्कार (3 राज्य स्तरीय कृषक) 1,00,000 रू., प्रति कृषक पुरस्कार देय है।</p>		<p>वर्णित कृषक पुरस्कार देय है।</p>
---	---	--	-------------------------------------

## पशुपालन विभाग, राजसमन्द

- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना
- कृत्रिम गर्भाधान
- बधियाकरण
- टीकाकरण
- बांझ निवारण व उपचार शिविर
- पशुपालक प्रशिक्षण शिविर
- गौशालाओं में पशुओं के लिए अनुदान
- जिला स्तरीय मोबाईल यूनिट

## जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड कांकरोली

योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ	स्वीकृत करने वाले अधिकारी
हैण्डपम्प मरम्मत	—	कैम्प के दौरान हैण्डपम्प संबंधी समस्या का निराकरण किया जावेगा।	आमजन को	सहायक अभियन्ता
पाईप लाईन लिकेज	—	कैम्प के दौरान पाईप लाईन लिकेज संबंधी समस्या का निराकरण किया जावेगा।	आमजन को	सहायक अभियन्ता
जलापूर्ति में प्रेशर संबंधित सुधार	—	कैम्प के दौरान जलापूर्ति में प्रेशर संबंधित समस्या का जलापूर्ति के समय निरीक्षण कर निराकरण किया जावेगा।	आमजन को	सहायक अभियन्ता
नये जल संबंध जारी करना	उपभोक्ता द्वारा नवीन जल संबंध पत्रावली तैयार कर जमा कराना	कैम्प के दौरान उपभोक्ता द्वारा पत्रावली जमा कराने पर साईट का निरीक्षण कर उपभोक्ता को जल संबंध जारी किया जावेगा।	आमजन को	सहायक अभियन्ता

## बाल विकास परियोजना विभाग राजसमन्द

योजना/कार्य का नाम	पात्रता	योजना की क्रियान्विति एवं प्रक्रिया	योजना का लाभ	स्वीकृत करने वाले अधिकारी
पोषण अभियान	0-6 माह के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें एवं किशोरी बालिकायें	08 मार्च 2018  0-6 वर्ष के बालक, बालिकायें, गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें, किशोरी बालिका के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु।	0-6 वर्ष के बालक, बालिकायें, गर्भवती महिलायें, धात्री महिलायें, किशोरी बालिका को लाभ	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	प्रथम संतान प्राप्ति पर	जनवरी 2018 से गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण, <b>LMP</b> तारीख के 150 दिनों के अंदर होना चाहियें।	प्रथम गर्भावस्था का पंजीकरण करवाने से लेकर बच्चे का टिकारण पूर्ण होने तक 5000/- रुपये का भुगतान तीन किशतों में किया जाता है।	बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजसमन्द



ई-मित्र पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं और उनकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरें।

क्र. सं.	सेवाएं	शुल्क	क्र. सं.	सेवाएं	शुल्क	क्र. सं.	सेवाएं	शुल्क
डिजिटल राशन कार्ड सेवाएं			जन आधार सेवाएं			समाज कल्याण विभाग की सेवाएं		
1	नये राशन कार्ड के लिए आवेदन	50	18	नवीन जन आधार परिवार नामांकन	निःशुल्क	32	सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन	50
2	सदस्य का नाम जुड़वाना/सदस्य का नाम हटवाना एवं अन्य सुधार करवाने हेतु आवेदन	50	19	नये सदस्य का नाम जुड़वाना	निःशुल्क	33	आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान हेतु आवेदन	50
3	डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन	50	ब-कार्ड जारी होने के पश्चात्			34	पालनहार योजना	50
4	राशन कार्ड निरस्त करने हेतु आवेदन	50	20	जन आधार कार्ड में सूचना जुड़वाने एवं अद्यतन करवाने हेतु (जैसे बैंक खात, पीपीओ, बीपीएल, एनएफएसए एवं अन्य सूचना)	50	35	विकलांगता प्रमाण पत्र	50

5	नये/डुप्लीकेट राशन कार्ड को पूर्व मुद्रित स्टेशनरी पर रंगीन प्रिंट करना एवं बुकलेट में स्टेपल करना	20	पुलिस विभाग की सेवाएं		जन उपयोगी सेवाएं			
डिजिटल जन्म/मृत्यु सेवाएं			21	किरायेदार सत्यापन के लिए आवेदन	50	36.	पानी/बिजली के बिल जमा करना	निःशुल्क
6	जन्म एवं मृत्यु डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र	50	22	घरेलू नौकर का सत्यापन	50	37	एलईडी का वितरण	70 प्रति एलईडी
7	जन्म/मृत्यु डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र	50	23	चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आवेदन	260	रेलवे टिकट बुकिंग सेवाएं		
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र सेवाएं			24	चरित्र प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रति	20	38	रेलवे टिकट बुकिंग सेवाएं, नॉन एसी क्लास, एसी क्लास	20/40
8	मूल निवास प्रमाण पत्र लिए आवेद	50	रोजगार विभाग की सेवाएं		अन्य सेवाएं			
9	जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	50	25	बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन	50	39	पिछड़ी जाति की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण के लिए आवेदन पत्र	50
10.	अल्पसंख्यकों के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	50	26	रोजगार पंजीकरण हेतु आवेदन	50	40	पेन कार्ड के लिए ऑन-लाईन आवेदन	107

12.	डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास/जाति/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करना	20	27.	रोजगार पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन	50	41	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र हेतु पंजीकरण, आवेदन एवं शुल्क जमा करवाना	50 से 100
आधार सेवाएं			कृषि विभाग की सेवाएं			42	राजसंपर्क पोर्टल पर शिकायतों का पंजीकरण	—
13	आधार नामांकन	निःशुल्क	28	बीज/उर्वरक/कीटनाशक के अनुदान के लिए इनपुट लाईसेंस के लिए आवेदन	50	43	सूचना का अधिकार	6 से 16
14	बायोमेट्रिक अपडेशन	100	29.	खेत, तालाब, डिग्गी, पाईपलाईन, फार्म पौण्ड पर अनुदान	50	44	राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन फार्म भरना एवं फीस जमा करना	50 से 100


15	जनसांख्यिकीय अपडेशन	50	30	छात्राओं (कृषि विषय) को प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन पत्र	50	45	खान एवं भूविज्ञान विभाग की विभिन्न विभागीय राजस्व यथा डेडरेन्ट, रॉयल्टी, आवेदन शुल्क इत्यादि जमा कराने की सेवा।	50 से 100
16	EID जानकारी	30	31	फसल मौसम बीमा संबंधित जानकारी	—			
17	आधार आवेदन में EID, UID बैंक खाते की सूचना जुड़वाने की सेवाएं	3+सेवा						

## SSO ID से लॉगिन प्रक्रिया


Google पर जाकर SSO ID डालने पर यह डायलॉग बॉक्स आयेगा ।  
इसके पश्चात् रजिस्ट्रेशन पर जाकर क्लिक करें।



इसके पश्चात् सीटीजन पर क्लिक करें



- अब आप अपने भामाशाह, आधार कार्ड, फेसबुक, गुगल आईडी या ट्वीटर आईडी किसी भी प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आधार पर क्लिक किया है



•

अब आप अपनी किसी भी प्रकार की डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।


Login Registration

Citizen Udhog Govt. Employee

Aadhaar Number

Next Cancel

- आवेदक द्वारा सभी घोषणाओं की जाँच करें।
- अब आपका [SSOID and Password](#) सेट हो गया
- अब आपका मोबाईल नम्बर डाले।
- अब आपका रजिस्ट्रेशन [Rajasthan Single Sign On application](#) पर सफलतापूर्वक हो गया।
- अब आप [SSOID](#) पर लॉगइन करके नीचे दर्शाये गये आईकन पर जाकर अपना पासवर्ड, अपनी फोटो एवं अन्य जानकारी अपडेट कर दें।



नीचे दर्शाये गये आईकन द्वारा आपकी समस्त सेवाएँ मिल जाएगी।





**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द जिला राजसमन्द**

क्रमांक :- राजस्व/प्रशा. गांवों के संग/2021/

दिनांक :- 05.08.2021

**आदेश**

राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-1) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक: प.12(2) राज-1/2020 दिनांक 09.07.2020 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के पत्रांक प.12/17( )राजस्व/ प्रगांकेसंअ 21/2021/1164-91 दिनांक 15.07.2021 की अनुपालना में उपखण्ड क्षेत्र राजसमन्द में प्रशासन गांवों के संग अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः ब्लॉक स्तरीय समस्त विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने हेतु प्रभारी एवं सहायक प्रभारीवार निम्नानुसार टीम गठित की जाती है।

श्री भुवनेश्वरसिंह चौहान, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजसमन्द		प्रभारी	9650667889
क्र.सं.	विभाग	योजनाएँ	सह प्रभारी
1	विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द	1. पेंशन 2. स्वच्छ भारत मिशन 3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5. मगरा क्षेत्र विकास योजना 6. गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना 7. 14वां वित्त आयोग मद 8. राज्य वित्त आयोग पंचम 9. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 10. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना।	सम्बन्धित पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी
2	उप वन संरक्षक, राजसमन्द	औषधिय वितरण योजना	श्री तेजसिंह 9462844511
3	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजसमन्द	ई-मित्र संचालन	

4	सामाजिक एवं न्याय व अधिकारिता विभाग, राजसमन्द	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पालनहार योजना</li> <li>2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना</li> <li>3. निःशक्त छात्रवृत्ति योजना</li> <li>4. अन्तर्जातीय विवाह योजना</li> <li>5. मुख्यमंत्री विशेषयोग्यजन स्वरोजगार योजना</li> <li>6. सुखद दाम्पत्य जीवन योजना (विशेष योग्यजनों के विवाह हेतु अनुदान)</li> <li>7. संयुक्त सहायता योजना</li> <li>8. विधवा पुनर्विवाह योजना</li> <li>9. आस्था योजना</li> <li>10. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण योजना</li> <li>11. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना</li> <li>12. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना</li> <li>13. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना</li> <li>14. छात्रावास योजना</li> <li>15. सहयोग एवं उपहार योजना</li> <li>16. विशेष योग्यजन संबंधी योजनाएँ</li> </ol>	श्री जयप्रकाश  9782192515
5	तहसीलदार राजसमन्द/ कुंवारीया	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. नामान्तरकरण</li> <li>2. जनोपयोगी प्रस्ताव</li> <li>3. राजस्व रेकॉर्ड की शुद्धि</li> <li>4. राजस्व रेकॉर्ड की शुद्धि</li> <li>5. राजस्व रेकॉर्ड की प्रतिलिपि</li> <li>6. खातेदारी अधिकार</li> <li>7. सहमति विभाजन</li> <li>8. सीमा ज्ञान एवं पत्थरगद्दी</li> <li>9. अतिक्रमण की बेदखली</li> <li>10. कुआ नियमन</li> <li>11. न्यायालय की पीडी, एफडी की पालना</li> <li>12. प्रमाण पत्र संबंधी कार्य</li> <li>13. अन्य विभागो से संबंधित कार्य</li> </ol>	श्री राजेन्द्र भारद्वाज  9413093652
6	श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग राजसमन्द	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. निर्माण श्रमिक का पंजीयन।</li> <li>2. हिताधिकारियों के द्वारा योजना आवेदन की प्रक्रिया।</li> <li>3. निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना।</li> <li>4. निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना।</li> </ol>	श्री भैरूलाल मीणा  8107937872

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. प्रसूति सहायता योजना।</li> <li>6. निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना।</li> <li>7. निर्माण श्रमिक की सामान्य/ दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना।</li> <li>8. शुभशक्ति योजना।</li> <li>9. निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना।</li> <li>10. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना।</li> <li>11. सिलिकोसिस पीडित हिताधिकारियों हेतु सीयता योजना।</li> <li>12. निर्माण श्रमिक विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना</li> <li>13. निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना।</li> <li>14. निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना।</li> <li>15. निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का IIT, IIM में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस का पुनर्भरण योजना।</li> </ol>	
7	बाल विकास एवं प्रयोजना अधिकारी, राजसमन्द	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पोषण अभियान</li> <li>2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना</li> </ol>	श्रीमती सरोज देवपुरा 9001788504
8	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. जननी सुरक्षा योजना</li> <li>2. राजस्थान जननी सुरक्षा योजना</li> <li>3. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना</li> <li>4. निःशुल्क जॉच योजना</li> <li>5. प्रसव सखी</li> <li>6. दक्षता</li> <li>7. कुशल मंगल कार्यक्रम</li> <li>8. सुरक्षित मातृत्व दिवस</li> <li>9. प्रसूति नियोजन दिवस</li> <li>10. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान</li> <li>11. माँ</li> <li>12. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)</li> </ol>	श्री राजकुमार खोलिया 9414353854

		13. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) 14. राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीडी) 15. राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) 16. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) 17. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) 18. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मुलन कार्यक्रम (एनएलईपी) 19. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) 20. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 22. 104 / 108 निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं परिवहन सेवा 23. परिवार कल्याण कार्यक्रम 24. मुखबिर / डिर्कोय योजना 25. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियन्त्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (NPPCF) 26. राज श्री योजना 27. बालिका सम्बल योजना 28. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति 29. संशोधित राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम 30. सिलिकोसिस रोग बचाव एवं रोकथाम	
9	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	1. छात्रावृत्ति योजना 2. प्रोत्साहन योजना 3. पालनहार योजना 4. ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना 5. साईकिल योजना 6. दिव्यांग छात्र / छात्राओं को अंग उपकरण 7. लैपटॉप वितरण योजना 8. स्कूटी योजना 2020	श्री प्रमोद पालीवाल 9414681859
10	सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजसमन्द	1. हैण्डपम्प मरम्मत 2. पाईप लाईन लिकेज 3. जलापूर्ति में प्रेशर संबंधित सुधार 4. नये जल संबंध जारी करना।	श्री गुप्त सिंह जाटव, 7014795492
11	आयुर्वेद विभाग, राजसमन्द	5. पंचकर्म चिकित्सा 6. औषधालय में आने वाले रोगियों की चिकित्सा 7. योग परामर्श	श्री भूरीलाल सोनी 8107004693

		8. स्वास्थ्य जीवन शैली अभियान में विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण एवं उद्बोधन 9. वृक्षारोपण कार्यक्रम में औषधि पौधों का रोपण एवं उनकी उपयोगिता के बारे में आमजन को जानकारी।																			
12	उप निदेशक, कृषि विस्तार शाखा राजसमन्द	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>खेत तलाई (फार्म पौण्ड) निर्माण (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)  पाईपलाईन (रा.कृ.वि.यो. / नमूप / एन.एफ.एस.एम. )</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>विस्तारप्रशिक्षण(आत्मा) अन्तः/अन्तर्राज्जीय कृषक भ्रमण</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमायोजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>जिप्सम वितरण कार्यक्रम (अ) क्षारीय भूमि सुधार (रा.कृ.वि.यो. / नमसा) (ब) पौषक तत्व (नमूप/एन.एफ.एस. एम.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>मृदा परीक्षण कार्यक्रम</td> <td></td> </tr> </table>	1	खेत तलाई (फार्म पौण्ड) निर्माण (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)  पाईपलाईन (रा.कृ.वि.यो. / नमूप / एन.एफ.एस.एम. )		2	विस्तारप्रशिक्षण(आत्मा) अन्तः/अन्तर्राज्जीय कृषक भ्रमण		3	कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि		5	फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमायोजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)		6	जिप्सम वितरण कार्यक्रम (अ) क्षारीय भूमि सुधार (रा.कृ.वि.यो. / नमसा) (ब) पौषक तत्व (नमूप/एन.एफ.एस. एम.)		7	मृदा परीक्षण कार्यक्रम		श्री प्रेम यादव  9414834087
1	खेत तलाई (फार्म पौण्ड) निर्माण (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)  पाईपलाईन (रा.कृ.वि.यो. / नमूप / एन.एफ.एस.एम. )																				
2	विस्तारप्रशिक्षण(आत्मा) अन्तः/अन्तर्राज्जीय कृषक भ्रमण																				
3	कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि																				
5	फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमायोजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)																				
6	जिप्सम वितरण कार्यक्रम (अ) क्षारीय भूमि सुधार (रा.कृ.वि.यो. / नमसा) (ब) पौषक तत्व (नमूप/एन.एफ.एस. एम.)																				
7	मृदा परीक्षण कार्यक्रम																				

		8	परम्परागत कृषि परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)		
		9	(अ)सतत कृषि नेशनल मिशन फोर संस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)  (ब) कृषि वानिकी सब मिशन अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु योजना।		
		10	फसल प्रदर्शन		
		11	तारबन्दी पर अनुदान		
			प्रमाणित बीज वितरण		
		12	मूंग, उड़द, मोठ, चंवला, अरहर, चना (एन.एफ.एस.एम.)  मोटा अनाज बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ (एन.एफ.एस.एम./रा.कृ.वि.यो.)  गेहूं (एन.एफ.एस.एम.)  ग्वार (रा.कृ.वि.यो.)  गेहूं एवं धान		

		(रा.कृ.वि.यो.)		
		तिलहनी फसलें (राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन)		
		<b>पौध संरक्षण</b>		
	13	आई.पी.एम. आधारित फार्मर फील्ड स्कूल प्रशिक्षण (नमूप)		
		पौध संरक्षण उपकरण हस्तचलित (नमूप)		
		हस्तचलित (एन.एफ.एस.एम.) (दलहन व गेहूँ)		
		पावर चलित (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता) (नमूप)		
		पावर चलित (16 लीटर से अधिक क्षमता) (नमूप)		
		सीड ड्रेसिंग ड्रम (20 कि.ग्रा. एवं 40 कि.ग्रा.) (नमूप)		
		पौध संरक्षण रसायन / खरपतवारनाशी / बायो एजेंट / बायो पेस्टीसाईड पर अनुदान		
		ट्रेक्टर माउण्टेड (एन.एफ.एस.एम.)		

		<p>पावर चलित (पावर स्प्रेयर कम डस्टर/बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर)</p> <p>14 यंत्रिकरण (ट्रेक्टर/पावर ऑपरेटेड यंत्र)</p> <p>सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल</p> <p>डिस्क प्लाउ/डिस्क हैरो</p> <p>रोटावेटर</p> <p>मल्टी क्रोप थ्रेसर</p> <p>ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर (नमूप से स्वीकृत नहीं)</p> <p>रिज फरो प्लांटर</p> <p>मल्टी क्रोप प्लांटर</p> <p>चिजलर/चिजलर प्लाउ (नमूप से स्वीकृत नहीं)</p> <p>15 कस्टम हायरिंग योजना</p> <p>16 कृषकों को पुरस्कार (आत्मा योजना/राज्य योजना)</p>	
13	पशु पालन विभाग, राजसमन्द	<ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना</li> <li>कृत्रिम गर्भाधान</li> <li>बधियाकरण</li> <li>टीकाकरण</li> </ol>	<p>श्री जगदीश सिंह</p> <p>9829134412</p>



		5. बांझ निवारण व उपचार शिविर 6. पशुपालक प्रशिक्षण शिविर 7. गौशालाओं में पशुओं के लिए अनुदान 8. जिला स्तरीय मोबाईल यूनिट	
--	--	--	--

(डॉ. दिनेश राय सापेला)  
उपखण्ड अधिकारी  
राजसमन्द

क्रमांक :- राजस्व/प्रशा. गांवों के संग/2021/  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक :- 05.08.2021

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द।
3. उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा।
4. तहसीलदार कुंवारिया/राजसमन्द/रेलमगरा।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द/रेलमगरा
6. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
राजसमन्द

## ब्लॉक स्तरीय अधिकारी दूरभाष सूची

क्र.सं	अधिकारी का नाम	पद नाम मय विभाग का नाम	मोबाईल नं.
1	श्री भुवनेश्वरसिंह चौहान	विकास अधिकारी पंचायत समिति राजसमन्द	9650667889
2	श्री राजेन्द्र भारद्वाज	तहसीलदार राजसमन्द / कुंवारिया	9413093652
3	श्री अनिल खिंची	सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजसमन्द	9462625838
4	श्री के.सी. खिंची	सहायक अभियन्ता, अ.वि.वि.नि.लि. राजसमन्द	9413391833 7568019599
5	श्री राजू सामरिया	सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग राजसमन्द	8949376800
6	श्री गुप्त सिंह जाटव	सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजसमन्द	7014795492
7	श्री प्रमोद पालीवाल	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजसमन्द	9414681859
8	श्री भैरूलाल मीणा	श्रम विभाग राजसमन्द	8107937872
9	डॉ० राजकुमार खोलिया	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द	9414353854
10	श्री तेजसिंह	उप वन संरक्षक राजसमन्द	9462844511
11	श्री भूरीलाल सोनी	आयुर्वेद अधिकारी, आयुर्वेद विभाग राजसमन्द	8107004693
12	श्री प्रेम यादव	सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विस्तार शाखा राजसमन्द	9414834087
13	श्री जयप्रकाश	सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, राजसमन्द	9782192515
14	श्री जगदीश सिंह	पशुपालन विभाग, राजसमन्द	9829134412
15	श्री चक्षु पाण्ड्या	रसद विभाग, राजसमन्द	9414474093
16	श्रीमती सरोज देवपुरा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजसमन्द	9001788504

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	संरपच	ग्राम विकास अधिकारी	फोन न0
1	आत्मा	श्री मुला राम 9950522034	श्री जगदीश कुमावत	9414683859
2	बडारडा	श्री गणेश लाल 9784292155	श्री प्रहलाद सिंह राठौड	7340626639
3	बामनटुंकडा	श्री लहरी लाल दवे 9928824917	श्री बालूराम सैनी	9929269299
4	भाणा	श्री नोक लाल 9166102611	श्री जोगिन्द्र शर्मा	7568758922
5	भाटोली	श्रीमती यषवंत देराश्री 9460211545	श्री लक्ष्मण सिंह चारण	7733910999
6	भावा	श्रीमती कंकु देवी गुर्जर 9799103397	श्री अम्बालाल भोई	9929226333
7	बिनोल	श्री राम लाल 9602239525	श्री उदयलाल गुर्जर	9602908058
8	बोरज	श्री डिम्पल कुंवर 9587141777	श्री जगदीश कुमावत	9414683859
9	धांयला	श्रीमती चुन्नी 9982205821	श्री बालूराम सैनी	9929269299

10	एमडी	श्री मांगीलाल सालवी 9461645172	श्रीमती संतोष सेन	8619133375
11	फरारा	श्रीमती मीरा कुंवर 7568776644	श्री लाल सिंह झाला	9413020006
12	फियावड़ी	श्री सुरेश चन्द्र जाट 8875534444	श्री राजेश जोशी	9079156201
13	केलवा	श्रीमती कृष्णा कुंवर 9784003333	श्री अर्जुन सिंह राठौड	9414166644
14	खटामला	श्री हिम्मत सिंह 8560856068	श्री दिनेश पूरी	9799253287
15	कुंवारिया	श्री ललित श्रीमाली 9828142455	श्री महावीर सिंह	9828679967
16	महा0 मादड़ी	श्रीमती सीमा कुंवर 9602194966	श्री करण सिंह राव	9928108076
17	मोही	श्री रतन लाल भील 8306128990	श्रीमति निधि आर्चाय	9799122985
18	मुण्डोल	श्री नारायण सिंह राठौड 8209196530	श्री प्रहलाद सिंह राठौड	7340626639

19	पडासली	श्री देवी सिंह 9680161132	श्री उदयलाल गुर्जर	9602908058
20	पसून्द	श्री अयान जोषी 8949716765	श्री विजयसिंह शक्तावत	9414685424
21	पीपरडा	श्रीमती सीता बाई 9414175601	श्री लाल सिंह झाला	9413020006
22	पीपली आचार्यान	श्रीमती सुन्दर देवी कीर 9829173405	श्री विजयसिंह शक्तावत	9414685424
23	पिपलान्त्री	श्रीमती अनिता देवी 9680260111	श्री सुशील दशोरा	9982043627
24	राज्यावास	श्रीमती दीपमाला कुंवर 7073960234	श्री लक्ष्मण सिंह चारण	7733910999
25	साकरोदा	श्रीमती मांगी देवी 9928827176	श्री शम्भुलाल व्यास	9587804226
26	सांगठ कला	श्री शिवलाल गमेती 9352541204	श्री जोगिन्द्र शर्मा	7568758922
27	सुन्दरचा	श्री तुलछी राम 9829643993	श्री शम्भुलाल व्यास	9587804226

28	तासोल	श्री भंवर लाल सरगरा 7568058588	श्री करण सिंह राव	9928108076
29	वणाई	श्रीमती गीता बाई 8946919999	श्रीमति निधि आचार्या	9799122985
30	पुठोल	श्रीमती राधा बाई भील 9001118852	श्री जोगिन्द्र प्रसाद शर्मा	7568758922
31	कानादेव का गुड़ा	श्रीमती मीरा सालवी 8769557327	श्री रामचन्द्र कुमावत	7014810411
32	घाटी	श्रीमती कमला बाई 8107379749	श्री सुशील दशोरा	9982043627
33	देवपुरा	श्री प्रकाश चन्द्र भील 8890542729	श्री अर्जुन सिंह राठौड	9414166644

- Administrative Reforms
- Agricultural Marketing
- Agriculture
- Animal Husbandry
- Archaeology and Museums
- Ayurved
- Biofuel
- CAD Bikaner
- Civil Aviation Department
- College Education
- Colonization Department
- Commercial Taxes
- Consumer Affairs
- Cooperation
- Delhi Mumbai Industrial Corridor
- Devasthan
- Disaster Management and Relief
- Economics and Statistics
- Education
- Election
- Electrical Inspectorate Department
- Employee State Insurance
- Employment
- Energy
- Environment
- Evaluation Organization
- Excise
- Factories and Boilers Inspection
- Finance
- Fisheries
- Food
- Forensic Science Laboratory
- Forest
- General Administration and Cabinet Secretariat
- Gopalan
- Ground Water
- Home
- Home Guards
- Homeopathic Chikitsa Vibahg
- Horticulture
- Industries
- Information and Public Relations
- Information Technology and Communication
- Justice
- Labour
- Language and Library
- Literacy and Continuing Education
- Litigation Department
- Local Funds and Audit Department
- Local Self Government
- Medical Education
- Medical Health and Family Welfare
- MGNREGA
- Mid Day Meal
- Mines and Geology, Rajasthan
- Minority Affairs
- Mobile Surgical Unit
- Panchayati Raj
- Parliamentary Affairs
- Pension and Pensioners Welfare
- Personnel
- Petroleum
- Planning
- Prosecution
- Public Health Engineering
- Public Works
- Rajasthan Avas Vikas and Infrastructure Limited (RAVIL)
- Rajasthan Police
- Rajasthan Prisons
- Rajasthan Urban Infrastructure Development Project
- Redressal of Public Grievances
- Registration and Stamps
- Revenue
- Rural Development
- Sanskrit Education
- Science and Technology
- Settlement Department
- Skill Employment and Entrepreneurship
- Social Justice and Empowerment
- Specially Abled Person
- State Directorate of Revenue Intelligence
- State Forensic Science Laboratory
- State Insurance and Provident Fund
- Technical Education
- Tourism
- Town Planning
- Transport
- Treasuries and Accounts (DTA), Rajasthan
- Tribal Area Development
- Unani Chikitsa
- Urban Development and Housing
- Water Resources
- Watershed Development and Soil Conservation
- Wild Life
- Wild Life
- Women and Child Development

दिये गये लिंक पर क्लिक करे और संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाएं । **page no.92**



# ऑपरेशन रि्लीफ़



सत्यमेव जयते

उपखण्ड प्रशासन राजसमन्द की जन कल्याणकारी पहल





 **PE** **R** **A** **T** **I** **O** **N**   
**RELIEF**

  
सत्यमेव जयते

उपखण्ड प्रशासन राजसमन्द की जन कल्याणकारी पहल



संपादन, संकलन, समर्पण  
**डॉ. दिनेश राय सापेला**  
उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

